सत्यमेव जयते

प्रथम अंक सत्र 2020-21

पासपोर्ट चेतना

राजभाषा वार्षिक पत्रिका

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय
विदेश भवन, मुंबई

विदेश भवन, मुंबई

का उद्घाटन समारोह 27/08/2017

पासपोर्ट चेतना

संरक्षक

श्री मनोज कुमार राय
क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी

उप संरक्षक

श्रीमती सुमनबेन पारगी
उप पासपोर्ट अधिकारी

सह संरक्षक

श्री बिमल के.वी.
वरिष्ठ अधीक्षक

संपादक

श्री विजय राम मीना
अधीक्षक

सह-संपादक

अंशू दुबे
कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी

विशेष सहयोग:

श्री जॉन मार्क
आशुलिपिक

श्री के.मनिकन्दन नायर
आशुलिपिक

श्री शिवा मंशावर
कनिष्ठ पासपोर्ट सहायक

श्री स्नेहल सैनी
कनिष्ठ पासपोर्ट सहायक

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, मुंबई
विदेश भवन, सी-45, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400 051.

विदेश मंत्री
भारत

सत्यमेव जयते

Minister of External Affairs
India

संदेश

मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, मुंबई द्वारा वार्षिक पत्रिका 'पासपोर्ट चेतना' के प्रथम अंक का प्रकाशन किया जा रहा है।

इस अवसर पर, मैं क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय मुंबई से जुड़े सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई देता हूँ तथा आशा करता हूँ कि पासपोर्ट कार्यालय, मुंबई के इस प्रयास से राजभाषा के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा मिलेगा।

पत्रिका के सफल प्रकाशन हेतु मेरी हार्दिक शुभकमनाएं।

(डॉ. सु. जयशंकर)

विदेश राज्य मंत्री
भारत

सत्यमेव जयते

Minister of State External Affairs
India

संदेश

मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, मुंबई द्वारा राजभाषा पत्रिका 'पासपोर्ट चेतना' के प्रथम अंक का प्रकाशन किया जा रहा है।

मै आशा करता हूँ कि कार्यालय में इससे राजभाषा के प्रचार और प्रसार में बहुत सहयोग मिलेगा और सभी कर्मचारी व अधिकारी पूरे जोश से हिन्दी को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करेंगे।

इस अवसर पर, मैं क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, मुंबई से जुड़े सभी सदस्यों को हार्दिक शुभकामनायें देता हूँ तथा पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए बहुत बधाई।

(वी . मुरलीधरन)

संजय भट्टाचार्य
सचिव(सी.पी.वी.) एवं ओ.आई.ए.

विदेश मंत्रालय,नई दिल्ली
Ministry of External Affairs,
New Delhi

संदेश

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि पासपोर्ट कार्यालय, मुंबई अपनी राजभाषा पत्रिका 'पासपोर्ट चेतना' के पहले अंक का प्रकाशन करने जा रहा है। संघ सरकार के कार्यालयों द्वारा राजभाषा पत्रिकाओं के प्रकाशन से राजभाषा के प्रचार-प्रसार में प्रगति होती है।

राजभाषा पत्र-पत्रिकाएँ केंद्र सरकार की नीतियों को आम जन-मानस तक पहुँचाने में प्रभावी भूमिका निभाती है। इस प्रकार की पत्रिकाएँ सरकारी कार्यालयों द्वारा सम्पन्न किए जा रहे क्रिया-कलापों को नागरिकों तक सहज, सरल और सुबोध निज भाषा में पहुंचाने का कार्य करती है।

पासपोर्ट कार्यालयों में वृहद जन-संपर्क होता है। ऐसे में, यदि यह जन संवाद साधारण बोलचाल की भाषा में हो तो यह जन संवाद और अधिक प्रभावी हो जाता है। इसके साथ-साथ राजभाषा में कार्य किए जाने से दुष्कर कार्य भी सुगम हो जाता है।
मेरा विश्वास है कि इस पत्रिका के प्रकाशन से कार्यालय में राजभाषा के प्रगामी अनुप्रयोग में वृद्धि होगी। इस पत्रिका के पहले अंक के प्रकाशन के लिए कार्यालय को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनायें।

संजय भट्टाचार्य
(संजय भट्टाचार्य)

जयंत एन . खोबरागड़े
संयुक्त सचिव(पीएसपी) एवं
मुख्य पासपोर्ट अधिकारी

सत्यमेव जयते

विदेश मंत्रालय,नई दिल्ली
Ministry of External Affairs,
New Delhi

संदेश

यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि पासपोर्ट कार्यालय, मुंबई अपनी राजभाषा पत्रिका 'पासपोर्ट-चेतना' के पहले अंक का प्रकाशन करने जा रहा है। यह अभिनव प्रयास निश्चय ही कार्यालय में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देगा।

केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा राजभाषा पत्रिकाओं के प्रकाशन से हिन्दी में काम-काज किए जाने के लिए एक सकारात्मक माहौल विकसित होता है जिससे राजभाषा अनुप्रयोग में बढ़ोतरी होती है।

पासपोर्ट कार्यालय, जन-संपर्क के कार्यालय हैं। इन कार्यालयों के माध्यम से सरकार का जनता से सीधा साक्षात्कार होता है। ऐसे में, जन-संवाद की भाषा, हिन्दी की भूमिका बहुत बढ़ जाती है। इसके साथ-साथ आम आदमी को भी अपने मनोभावों को सहज बोलचाल की भाषा में व्यक्त करने में सुविधा होती है।

मेरा मानना है कि इस पत्रिका के प्रकाशन से कार्यालय में राजभाषा के प्रगामी अनुप्रयोग के प्रति जागरूकता का प्रचार-प्रसार होगा। इस पत्रिका के पहले अंक के प्रकाशन के लिए कार्यालय को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएँ।

जयंत एन. खोबरागड़े

अमिताभ कुमार
नौवहन महानिदेशक एवं
अपर सचिव

सत्यमेव जयते

नौवहन महानिदेशालय
पत्तन,पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
Directorate General of Shipping
Ministry of Ports, Shipping and Waterways

संदेश

प्रसन्नता का विषय है कि विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में, 'प्रदेश में विदेश' कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित विदेश भवन, मुंबई के सम्बद्ध कार्यालय, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, मुंबई द्वारा अपनी वार्षिक पत्रिका 'पासपोर्ट चेतना' के प्रकाशन का शुभारंभ किया जा रहा है।

मेरी हार्दिक कामना है कि 'पासपोर्ट चेतना' के माध्यम से संघ की राजभाषा के कार्यान्वयन की दिशा मे किए जा रहे प्रयासों को और अधिक बल मिले। पत्रिका के माध्यम से रचनाधर्मी प्रतिभाओं को जहां एक मंच मिलेगा तो वहीं कार्यालय अपनी तमाम गतिविधियों की जानकारी राजभाषा हिन्दी के माध्यम से सबको दे पाएगा। आशा करता हूँ कि कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा अपने सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी को प्रयोग में लाने के प्रति यह पत्रिका उन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित करने का माध्यम बनेगी।

संपादक मंडल को मेरी तरफ से बधाई और मैं पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।

अमिताभ कुमार
अध्यक्ष,
नगर राजभाषा कार्यान्वन समिति,
मुंबई- उत्तर।

प्रशान्त पिसे
संयुक्त सचिव एवं उप महानिदेशक

सत्यमेव जयते

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद
विदेश मंत्रालय

संदेश

मुझे यह जानकर अति प्रसन्नता हुई कि मुंबई के पासपोर्ट कार्यालय द्वारा एक नई पत्रिका 'पासपोर्ट चेतना' के प्रकाशन की योजना शुरू की गई है। निश्चित रूप से इस कार्य की जितनी सराहना की जाये कम है, क्योंकि विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, हिन्दी के वैश्विक विस्तार के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहती है।

पासपोर्ट चेतना के प्रकाशन से भारत तथा विदेशों में हिन्दी के वैश्विक प्रसार में एक और नया अध्याय जुड़ने जा रहा है, जो निश्चित रूप से मील का पत्थर बनेगा।

परिषद का क्षेत्रीय कार्यालय, पासपोर्ट कार्यालय का एक अभिन्न अंग है और विभिन्न देशों के कई छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करके भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों के बीच सद्भावना और घनिष्ठ मित्रता को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमारे राज्य के साथ-साथ स्थानीय शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्थानों, थिंक टैंक और विश्वविद्यालयों के साथ-साथ शैक्षणिक और सांस्कृतिक संबंधों को भी बढ़ा रहा है।

पत्रिका अपने नाम के अनुरूप भाषा के चैतन्य स्वरूप के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध दिखाई पड़ती है। मैं इसके लिए प्रकाशन से संबन्धित सभी विभाग एवं संबंधित व्यक्तियों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ तथा आभार प्रकट करता हूँ।

इसके साथ ही मैं हिन्दी की नई पत्रिका पासपोर्ट चेतना के उज्ज्वल भविष्य की भी कामना करता हूँ और आशा करता हूँ कि अपने लक्ष्य को सिद्ध करने में यह सार्थक रहेगी।

प्रशान्त पिसे

(प्रशांत पिसे)

हरकेश मीना
उप सचिव (हिन्दी)

सत्यमेव जयते

विदेश मंत्रालय,नई दिल्ली
Ministry of External Affairs,
New Delhi

संदेश

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय,मुंबई अपनी गृह पत्रिका 'पासपोर्ट चेतना' के प्रथम अंक का प्रकाशन करने जा रहा है। मुंबई, भाषा की दृष्टि से 'ख' क्षेत्र में आता है और यह चंडीगढ़ के बाद दूसरा ऐसा क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय है जो हिन्दी में गृह पत्रिका निकाल रहा है।

किसी भी पत्रिका के प्रकाशन का प्राथमिक उद्देश्य पाठकों के बीच सूचना और जानकारी साझा करना और कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों में सृजनात्मक एवं रचनाधर्मिता कौशल पैदा करना होता है। यह पत्रिका नि:संदेह कार्यालय के कार्मिकों को मौलिक अभिव्यक्ति प्रदान करेगी। इस प्रकार के कार्यकलापों से कार्यालय के कार्मिकों और पाठकों में व्यक्तित्व विकास, मौलिक चिंतन और रचनात्मक लेखन को बढ़ावा मिलता है।

मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस हिन्दी पत्रिका में रुचिकर, ज्ञानवर्धक और प्रेरक लेखों का समावेश किया जाएगा, जिससे इसके पाठक लाभान्वित होंगे। मैं क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, मुंबई परिवार की सतत प्रगति की कामना करते हुए, पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए मंगलकामनाएं प्रेषित करता हूँ और राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार में सहायक बनने के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ।

हरकेश मीना

मनोज कुमार राय
क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी

सत्यमेव जयते

विदेश मंत्रालय
क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, मुंबई

संरक्षक की कलम से

विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के 'प्रदेश में विदेश' कार्यक्रम के तहत संचालित विदेश भवन, मुंबई के सम्बद्ध कार्यालय क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, मुंबई द्वारा अपनी वार्षिक पत्रिका 'पासपोर्ट चेतना' के प्रथम अंक के प्रकाशन में संरक्षक की भूमिका निभाना मेरे लिए अत्यंत गौरव का विषय है।

लोकसेवा प्रदाता होने के नाते पासपोर्ट आवेदकों को सर्वोत्तम सेवा प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, मुंबई प्रतिबद्ध है। हिन्दी के सहज स्वभाव व जनमानस की भाषा होने के कारण पासपोर्ट आवेदकों से संवाद स्थापित करने में हिन्दी भाषा मुख्य भूमिका निभाती है। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, मुंबई द्वारा बॉलीवुड जगत को पासपोर्ट प्रदाता की भूमिका निभाकर एवं हिन्दी भाषा में संवाद स्थापित कर हिन्दी भाषा को बढ़ावा दिये जाने का प्रयास किया जाता रहा है। इस कार्यालय ने नियमित रूप से पासपोर्ट मेले, वेबसाइट, हिन्दी पखवाड़े आदि के माध्यम से जनता को जागरूक करने का प्रयास किया है जो 'पासपोर्ट चेतना' के शीर्षक को भी सार्थक करता है। पासपोर्ट कार्यालय, मुंबई द्वारा नियमित रूप से कार्यशाला, बैठकों का आयोजन एवं हिन्दी पखवाड़े द्वारा निरंतर हिन्दी भाषा के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जाते रहे हैं।

इसके अतिरिक्त मैं माननीय विदेश मंत्री श्री (डॉ.) एस. जयशंकर जी, माननीय विदेश राज्यमंत्री श्री वी. मुरलीधरन जी, आदरणीय सचिव श्री संजय भट्टाचार्य जी, आदरणीय संयुक्त सचिव श्री जयंत खोबरागड़े जी, आदरणीय श्री अमिताभ कुमार जी, आदरणीय श्री प्रशांत पिसे जी, आदरणीय श्री हरकेश मीना जी का सहृदय आभार व्यक्त करता हूँ जिनके अपार स्नेह व आशीष से 'पासपोर्ट चेतना' के प्रथम अंक का प्रकाशन संभव हुआ है।

निश्चित रूप से यह प्रयास क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, मुंबई में राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देगा तथा कर्मचारियों में हिन्दी भाषा के प्रति एक नई ऊर्जा का संचार करेगा।

(मनोज कुमार राय)

विनय कुमार चौबे
अपर महानिदेशक

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मुंबई, महाराष्ट्र
महासंचालक, लाचलुचपत प्रनिबंधक विभाग महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
यांचे कार्यालय
सर पोचखानवाला मार्ग, वरळी, मुंबई - 400 030.

सत्यमेव जयते

संदेश

अत्यंत हर्ष का विषय है कि क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, मुंबई द्वारा राजभाषा पत्रिका पासपोर्ट चेतना के प्रथम अंक का प्रकाशन किया जा रहा है।

भारत वर्ष की राजभाषा के रूप में सम्मानित हिन्दी पूरे देश में किसी न किसी रूप में पढ़ी-लिखी, बोली व समझी जाती है। हिन्दी को बढ़ावा देने हेतु क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, मुंबई द्वारा राजभाषा पत्रिका का प्रकाशन अत्यंत सराहनीय है। इस अवसर पर, मैं क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, मुंबई से जुड़े सभी रचनाकारों एवं संपादक मण्डल को हार्दिक शुभकामनायें देता हूँ तथा पत्रिका के सफल प्रकाशन हेतु असीम शुभकामनाओं के साथ

(विनय कुमार चौबे)

हेमंत ह. कोटलवार
Hemant H. Kotalwar

भारतीय राजदूत
प्राग
Ambassador of Inida
PRAGUE

<u>संदेश</u>

मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, मुंबई द्वारा राजभाषा पत्रिका पासपोर्ट चेतना के प्रथम अंक का प्रकाशन किया जा रहा है।

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, मुंबई राजभाषा के प्रयोग के लिए हमेशा अग्रणी रहा है एवं सभी सदस्यों के सामूहिक प्रयासों के कारण राजभाषा के क्षेत्र में निरंतर नई ऊंचाइयों तक पहुँचने का प्रयास रहा है। इस अवसर पर मैं क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, मुंबई से जुड़े सभी सदस्यों को हार्दिक शुभकामनायें देता हूँ।

पत्रिका के सफल प्रकाशन हेतु असीम शुभकामनाओं के साथ

(हेमंत ह. कोटलवार)

डॉ. स्वाती वि.कुलकर्णी
Dr. Swati V. Kulkarni

सत्यमेव जयते

भारत की प्रधान कौंसुल,
अटलांटा
Consul General of India
5549 Glebridge Drive NE
Sandy Springs
Altanta 30342

संदेश

अत्यंत हर्ष का विषय है कि क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, मुंबई द्वारा राजभाषा पत्रिका पासपोर्ट चेतना के प्रथम अंक का प्रकाशन किया जा रहा है।

विगत वर्षों के भाँति, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय मुंबई ने पासपोर्ट सेवाओं को सुनिश्चित, समयबद्ध सीमा में कुशलतापूर्वक उपलब्ध कराने के प्रति अपनी ठोस पहचान बनाये रखी है। नागरिको को सुलभ, जिम्मेदार और पारदर्शी तरीके से पासपोर्ट सेवा प्रदान करने के प्रति हमारा क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय अग्रसर रहा है और भविष्य में भी इसके प्रति वचनबद्ध है।

पासपोर्ट सेवा कैम्प आयोजित करने जैसे अनेक जनकल्याणकारी कार्यों में भी क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय मुंबई तत्पर रहा है जो इस कार्यालय के लोकोपकार की भावना को दर्शाता है।

यह गौरव की बात है कि समसामयिक समाज के प्रगति के साथ ताल मेल बनाये रखने और हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए हम सभी हिंदी प्रेमी मिलकर प्रयास कर रहे हैं।

भारत वर्ष की राजभाषा के रूप में सम्मानित हिन्दी पूरे देश में किसी न किसी रूप मे पढी, लिखी, बोली व समझी जाती है। हिन्दी को बढ़ावा देने हेतु क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, मुंबई द्वारा राजभाषा पत्रिका का प्रकाशन अत्यंत सराहनीय है।

इस अवसर पर मैं क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यलय, मुंबई से जुड़े सभी रचनाकारों एवं संपादक मण्डल को हार्दिक शुभकामनायें देती हूँ तथा पत्रिका के सफल प्रकाशन हेतु असीम शुभकामनाओं के साथ

स्वाती कुलकर्णी

विजय राम मीना
अधीक्षक

सत्यमेव जयते

विदेश मंत्रालय
क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, मुंबई

संपादकीय

सम्पूर्ण देश को एकता के सूत्र में पिरोनें वाली राजभाषा हिन्दी की क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, मुंबई एवं विदेश भवन, मुंबई की वार्षिक पत्रिका 'पासपोर्ट चेतना' के प्रथम अंक का प्रकाशन करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। पासपोर्ट चेतना के इस अंक में हमने क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, मुंबई के गौरवशाली पृष्ठभूमि व उपलब्धियों का समावेश किया है, जिससे यह सभी के लिए प्रेरणादायी साबित होगी।

यह हमारा सौभाग्य है कि हम एक ऐसे संस्थान का हिस्सा हैं, जो जनता को पासपोर्ट सेवा प्रदाता का कार्य करता है, जिससे हमें प्रत्यक्ष रूप से जनता से संवाद स्थापित करने का अवसर मिलता है। हिन्दी भाषा के प्रयोग द्वारा न केवल हम जनता को बेहतर सेवाएँ दे पाते हैं अपितु राजभाषा में कार्यकर राष्ट्रनिर्माण में भी अपना अमूल्य योगदान देते हैं। किसी भी व्यक्ति की मौलिक सोच और सृजनात्मक अभिव्यक्ति के लिए भी राजभाषा हिन्दी का अहम योगदान है। वार्षिक पत्रिकाओं का प्रकाशन न केवल राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार की दृष्टि से अहम है बल्कि कार्यालय में कार्मिकों के अनुभव को शब्द रूप देने के लिए भी एक सुदृढ़ एवं सबल मंच है।

मैं, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनकी प्रेरणा से हम अपने कार्यालय की वार्षिक पत्रिका का प्रथम अंक प्रकाशित कर पाने में सक्षम हुए हैं, साथ ही मैं उन सभी रचनाकारों का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होने पत्रिका प्रकाशन हेतु लेख/रचनाएँ आदि प्रेषित कर अपना अमूल्य योगदान दिया है।

(विजय राम मीना)

अनुक्रमणिका

क्रम संख्या	विवरण	लेखक	पृष्ठ संख्या
1.	भारतीय पासपोर्ट: एक संक्षिप्त परिचय		15.
2.	वर्तमान में पासपोर्ट सेवा		18.
3.	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, मुंबई का संक्षिप्त परिचय		19.
4.	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, मुंबई : अतीत से वर्तमान तक		20.
5.	राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधान		21.
6.	हिन्दी पखवाड़े का आयोजन (वर्ष 2020)		26.
7.	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, मुंबई के अधीनस्थ डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र		28.
8.	मुंबई दर्शन		32.
9.	कोरोना से सामना	अशोक कुमार	36.
10.	ध्यान प्रक्रिया	सी. डी. सूर्यवंशी	37.
11.	कर भला सो हो भला !	कुन्दन करगुटकर	38.
12.	सकारात्मक दृष्टिकोण	ऋषिकेश तोड़कर	40.
13.	आधुनिक संस्कृति	हेमंत मीना	41.
14.	विज्ञान की प्रगति एवं मानवीय मूल्यों का ह्रास	महेन्द्र कुमार मीना	42.
15.	"मन के हारे हार है, मन के जीते जीत"	ललित किशोर मीना	43.
16.	जीवन के 05 अध्याय जो मैंने एक कामकाजी छात्र के रूप में सीखा	अनिकेत आर्यन	45.
17.	उम्मीदों की बारिश	विजय राम मीना	47.
18.	मुंबई की बारिश	विजय राम मीना	47.
19.	जीवन है पलछिन	सुनीता अलुरकर	48.
20.	"भारत में पासपोर्ट की क्रांति"	निशांत ददवाल	49.
21.	"ये है मुंबई मेरी जान"	संगीता कामोद	50.
22.	शिष्टाचार, सम्मान और विचारशीलता कार्य-सफलता की नींव कैसे बनाते हैं।	स्नेहल सैनी	51.
23.	"एक फोटो की आत्म-कथा"	रोनिशा रविन्द्रन	52.
24.	एक नागरिक की सामाजिक जिम्मेदारियाँ	मनोज कुमार	52.
25.	ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है	विनय कुमार कंडेरा	53.
26.	सूरज की प्रतीक्षा करें, धूप आएगी।	लीना नायर	54.
27.	आभारी रहें	लीना नायर	54.

भारतीय पासपोर्ट: एक संक्षिप्त परिचय:-

अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के उद्देश्य से भारतीय नागरिकों को भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा एक भारतीय पासपोर्ट जारी किया जाता है। यह वाहक को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यात्रा करने में सक्षम बनाता है और पासपोर्ट अधिनियम (1967) के अनुसार भारतीय नागरिकता के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। पासपोर्ट सेवा (पासपोर्ट सेवा) इकाई, पासपोर्ट सेवा प्रभाग (पी. एस. पी. डिवीजन), विदेश मंत्रालय में केंद्रीय पासपोर्ट संगठन के रूप में कार्य करता है, और सभी पात्र भारतीय नागरिकों के आवेदन पर भारतीय पासपोर्ट जारी करने के लिए जिम्मेदार है। भारतीय पासपोर्ट पूरे भारत में स्थित 36 पासपोर्ट कार्यालयों और विदेशों में 197 भारतीय राजनयिक मिशनों में जारी किए जाते हैं।

पासपोर्ट के प्रकार

साधारण पासपोर्ट:- सामान्य नागरिकों को साधारण यात्रा के लिए साधारण पासपोर्ट (डार्क ब्लू कवर) जारी किया जाता है, जैसे कि छुट्टी, अध्ययन और व्यावसायिक यात्राएं (36 या 60 पृष्ठ)।

आधिकारिक पासपोर्ट:- आधिकारिक व्यवसाय पर भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों को आधिकारिक पासपोर्ट (व्हाइट कवर) जारी किया जाता है।

राजनयिक पासपोर्ट:- भारतीय राजनयिकों, संसद सदस्यों, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों, कुछ उच्च रैंकिंग वाले सरकारी अधिकारियों आदि को जारी किया जाता है। अनुरोध करने पर, इसे उच्च रैंकिंग वाले राज्य-स्तरीय अधिकारियों को आधिकारिक व्यवसाय पर यात्रा करने के लिए जारी किया जा सकता है।

भारतीय पासपोर्ट का इतिहास

प्रथम विश्व युद्ध से पहले भारतीय पासपोर्ट जारी करने की कोई प्रथा नहीं थी। युद्ध के दौरान, भारत सरकार ने 1914 में भारत रक्षा अधिनियम लागू किया और नियमों को गलत तरीके से लागू किया, जिससे भारत में प्रवेश के लिए पासपोर्ट का होना अनिवार्य हो गया। युद्ध की समाप्ति के छह महीने बाद अधिनियम समाप्त हो गया। हालाँकि यह वांछित था कि भारत सरकार को उस व्यवस्था को जारी रखने के लिए या पूर्व में ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य हिस्सों और अन्य देशों के साथ भारतीय व्यवहार को लाने के उद्देश्य से उस प्रणाली को जारी रखने के लिए शक्ति बनाए रखना चाहिए। इसलिए भारत सरकार ने 'भारतीय पासपोर्ट अधिनियम, 1920' को अधिनियमित किया, जिसने पहले के प्रावधानों को काफी हद तक बरकरार रखा। इस अधिनियम का नाम बदलकर 'पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920' रखा गया।

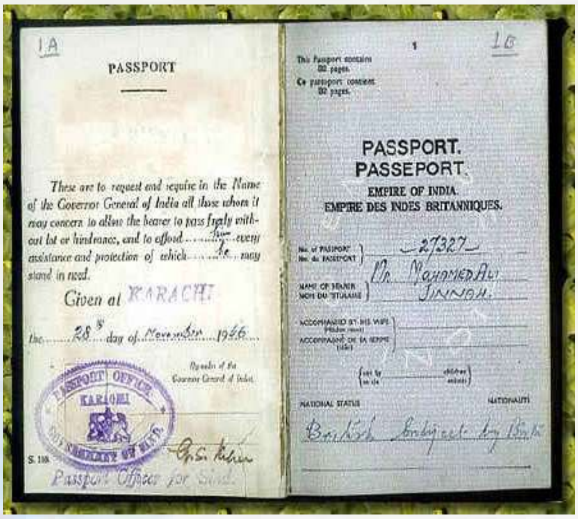

हालांकि 'उत्प्रवास' भारत सरकार अधिनियम, 1935 के पारित होने के बाद भी एक केंद्रीय विषय के रूप में जारी रहा, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को अपनी ओर से पासपोर्ट जारी करने की शक्ति सौंपी। कुछ राज्य सरकारें मुंबई, सी.पी. ,बरार, दिल्ली, संयुक्त प्रांत आदि ने अपने गृह विभागों के तहत इस प्रयोजन के लिए नियमित पासपोर्ट कार्यालय खोले।इसके बाद, पासपोर्ट का मुद्दा भारतीय संविधान के तहत एक केंद्रीय विषय बन गया और इसे विदेश मंत्रालय को आवंटित किया गया। वर्ष 1954 तक इस मंत्रालय की ओर से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा यह कार्य जारी रखा गया था। वर्ष 1954 में मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई और नागपुर में पहले पांच क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय स्थापित किए गए थे। इसके लिए एक अलग संगठन की स्थापना की आवश्यकता थी और केंद्रीय पासपोर्ट और प्रवासन संगठन को वर्ष 1959 में इस मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में बनाया गया था।

वर्ष 1966 तक प्रशासनिक निर्देशों के माध्यम से पासपोर्ट के मुद्दे को विनियमित किया गया था। पासपोर्ट जारी करने की शक्ति सरकार द्वारा भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1, मद 19 के साथ पढ़े गए अनुच्छेद 73 के आधार पर सरकार द्वारा प्रयोग की गई थी। हालाँकि, संसद सत्र में नहीं थी, इसलिए सरकार ने पासपोर्ट अध्यादेश, 1967 को लागू किया और छह महीने के बाद इसे वर्तमान पासपोर्ट अधिनियम, 1967 से बदल दिया, जो 24 जून, 1967 को लागू हुआ। इस दिन को अब पासपोर्ट सेवा दिवस के रूप में घोषित किया गया है।

पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के तहत, केंद्र सरकार को वहां नियमों को फ्रेम करने की शक्तियां हैं। समय के दौरान विभिन्न संशोधनों के बाद, इन्हें समेकित किया गया और पासपोर्ट संबंधी नियम अंतिम रूप से पासपोर्ट नियम 1980 के रूप में जारी किए गए, जिन्हें आगे आवश्यकतानुसार आंशिक रूप से संशोधित किये जाने का प्रावधान किया गया है।

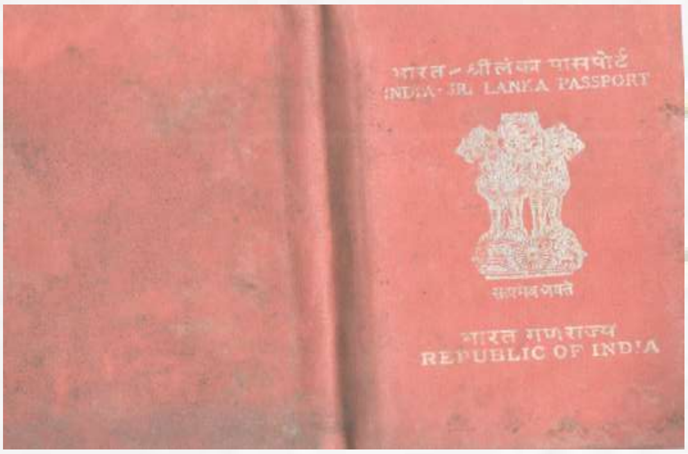

वर्तमान में पासपोर्ट सेवा:-

हाल के वर्षों में, भारत सरकार ने सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में सुधार के लिए ई-गवर्नेंस के युग में कई पहल की है। नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान में कई उच्च प्रभाव वाली ई-गवर्नेंस परियोजनाएं शामिल हैं जिन्हें मिशन मोड प्रोजेक्ट्स (MMP) के रूप में पहचाना गया है। ऐसी ही एक परियोजना भारत में पासपोर्ट सेवाओं में सुधार पर केंद्रित है। विदेश मंत्रालय (एमईए) देश भर में 36 पासपोर्ट कार्यालयों और विदेश में 190 भारतीय मिशनों और पोस्ट के नेटवर्क के माध्यम से भारतीय नागरिकों को पासपोर्ट जारी करने के लिए जिम्मेदार है। पासपोर्ट उन लोगों के लिए एक आवश्यक यात्रा दस्तावेज है जो शिक्षा, पर्यटन, तीर्थयात्रा, चिकित्सा उपस्थिति, व्यावसायिक उद्देश्यों और पारिवारिक यात्राओं के लिए विदेश यात्रा कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों के दौरान, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और फैलते हुए वैश्वीकरण ने पासपोर्ट और संबंधित सेवाओं की मांग में वृद्धि की है। पासपोर्ट और संबंधित सेवाओं की बढ़ती मांग बड़े शहरों और छोटे शहरों से आ रही है, जिससे व्यापक पहुंच और उपलब्धता की आवश्यकता होती है। भारतीय नागरिकों को पासपोर्ट सेवाओं के वितरण में वृद्धि और सुधार के लिए, विदेश मंत्रालय (MEA) ने मई 2010 में पासपोर्ट सेवा परियोजना (PSP) शुरू की। परियोजना को सार्वजनिक प्रतिस्पर्धी भागीदारी (PPP) मोड में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ लागू किया गया है, जिसे सार्वजनिक प्रतिस्पर्धी खरीद प्रक्रिया के माध्यम से चुना गया है। इस कार्यक्रम के एमओयू के तहत, विदेश मंत्रालय के पास सत्यापन, अनुदान और पासपोर्ट जारी करने जैसे संप्रभु और प्रत्ययी कार्यों को बरकरार रखा गया है। डेटा / सूचना सहित कोर परिसंपत्तियों का स्वामित्व और रणनीतिक नियंत्रण भी विदेश मंत्रालय (MEA) के पास है। पासपोर्ट सेवा पासपोर्ट और संबंधित सेवाओं के वितरण के लिए सरल, कुशल और पारदर्शी प्रक्रिया को सक्षम बनाता है। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक देशव्यापी नेटवर्क बनाने के अलावा, यह राज्य पुलिस के साथ आवेदक की साख के भौतिक सत्यापन और पासपोर्ट की डिलीवरी के लिए इंडिया पोस्ट के साथ एकीकृत करता है।

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, मुंबई का संक्षिप्त परिचय:

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, मुंबई देश के सबसे पुराने पासपोर्ट कार्यालयों में से एक है, जो वर्ष 1954 से संचालित है। यह भारत में स्थापित पहले 5 क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों में से एक है। इन 5 कार्यालयों के नाम इस प्रकार है:-(1) मुंबई (2) दिल्ली (3) कोलकाता (4) चेन्नई (5) नागपुर

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, मुंबई का अधिकार क्षेत्र 12 जिलों के अंतर्गत है जिनमें औरंगाबाद, धुले, जलगांव, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, नवी मुंबई, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरि, सिंधुदुर्ग, ठाणे और केंद्र शाषित प्रदेश दमन दीव और दादरा एवं नगर हवेली का नाम आता है।

पासपोर्ट सेवा केंद्र:-

वर्तमान में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, मुंबई के अंतर्गत 05 पासपोर्ट सेवा केंद्र एवं 12 डाक घर पासपोर्ट सेवा केंद्र संचालित है, जिनका विवरण इस प्रकार है:-

1. पासपोर्ट सेवा केंद्र, लोअर परेल
2. पासपोर्ट सेवा केंद्र, अंधेरी
3. पासपोर्ट सेवा केंद्र, मालाड
4. पासपोर्ट सेवा केंद्र, ठाणे
5. पासपोर्ट सेवा केंद्र, नाशिक

डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र:-

1. डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र, दमन
2. डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र, औरंगाबाद
3. डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र, सिलवासा
4. डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र, विक्रोली
5. डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र, जलगांव
6. डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र, राजापुर
7. डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र, धुले
8. डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र, भुसावल
9. डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र, सायन
10. डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र, वाशी
11. डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र, सांताक्रूज
12. डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र, भिवंडी

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, मुंबई : अतीत से वर्तमान तक

1. थलसेना एवं नौसेना भवन (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, मुंबई का प्रथम भवन)-1954

यह क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, मुंबई का प्रथम भवन था, जो वर्ष 1954 में प्रारम्भ हुआ। सांस्कृतिक दृष्टि से यह कार्यालय की अनूठी विरासत थी।

2. मनीष कमर्शियल सेंटर, वर्ली-1978

पासपोर्ट की बढ़ती मांग के कारण वर्ष 1978 में वर्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, मुंबई इस 'मनीष कमर्शियल बिल्डिंग' के अपने कार्यालय में स्थानांतरित हो गया।

3. बंगाल केमिकल भवन, प्रभादेवी, मुंबई:-

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, मुंबई द्वारा 22.01.2002 को 'बंगाल केमिकल भवन' में कार्यालय स्थानांतरित कर दिया। पासपोर्ट सेवा परियोजना के शुभारंभ पर उक्त कार्यालय में परिचालन बंद कर दिया गया।

4. विदेश भवन, मुंबई:- 15 अगस्त 2017 से पासपोर्ट कार्यालय मुंबई और ठाणे का विलय कर दिया गया तथा उक्त दिनाँक से यह कार्यालय विदेश भवन, मुंबई में संचालित है। इसके अलावा विदेश भवन, मुंबई में उत्प्रवासी संरक्षी कार्यालय, शाखा सचिवालय एवं भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का कार्यालय भी स्थित है।

राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद 120. संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा -

1. भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा परंतु यथा स्थिति राज्य सभा का सभापति या लोक सभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृ-भाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

2. जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो "या अंग्रेजी में" शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो ।

अनुच्छेद 210: विधान-मंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा -

1. भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य के विधान-मंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा, परंतु यथा स्थिति विधान सभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो पूर्वोक्त भाषाओं में से किसी भाषा में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

2. जब तक राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो "या अंग्रेजी में" शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो: परंतु हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों के विधान-मंडलों के संबंध में, यह खंड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो इसमें आने वाले "पंद्रह वर्ष" शब्दों के स्थान पर "पच्चीस वर्ष" शब्द रख दिए गए हों परंतु यह और कि अरूणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम राज्यों के विधान-मंडलों के संबंध में यह खंड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो इसमें आने वाले "पंद्रह वर्ष" शब्दों के स्थान पर " चालीस वर्ष " शब्द रख दिए गए हों।

अनुच्छेद 343. संघ की राजभाषा-

1. संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।

2. खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था। परन्तु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान, आदेश द्वारा, संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा।

3. इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, संसद उक्त पन्द्रह वर्ष की अवधि के पश्चात, विधि द्वारा

a.अंग्रेजी भाषा का, या अंकों के देवनागरी रूप का, ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

अनुच्छेद 344. राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति-

1. राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रारंभ से पांच वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात ऐसे प्रारंभ से दस वर्ष की समाप्ति पर, आदेश द्वारा, एक आयोग गठित करेगा जो एक अध्यक्ष और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करे और आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी।

2. आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को-

a. संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग,

b. संघ के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधनों,

c. अनुच्छेद 348 में उल्लिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा,

d. संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप,

a. संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा और उनके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्देशित किए गए किसी अन्य विषय, के बारे में सिफारिश करे।

3. खंड (2) के अधीन अपनी सिफारिशें करने में आयोग, भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में अन्य भाषा-भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्यायसंगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा।

4. एक समिति गठित की जाएगी जो तीस सदस्यों से मिलकर बनेगी जिनमें से बीस लोक सभा के सदस्य होंगे और दस राज्य सभा के सदस्य होंगे जो क्रमशः लोक सभा के सदस्यों और राज्य सभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे।

5. समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह खंड (1)के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करे और राष्ट्रपति को उन पर अपनी राय के बारे में प्रतिवेदन दे।

6. अनुच्छेद 343 में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति खंड (5) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् उस संपूर्ण प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निदेश दे सकेगा।

अनुच्छेद 345. राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं-

अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगा परंतु जब तक राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था।

अनुच्छेद 346. एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा-

संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा होगी: परंतु यदि दो या अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा हिंदी भाषा होगी तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा।

अनुच्छेद 347. किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध-

यदि इस निमित्त मांग किए जाने पर राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो वह निदेश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए, जो वह विनिर्दिष्ट करे, शासकीय मान्यता दी जाए।

अनुच्छेद 348.उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा-

1. इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक-

a. उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी,

i. संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन में पुनस्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों या प्रस्तावित किए जाने वाले उनके संशोधनों के:-
ii. संसद या किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा पारित सभी अधिनियमों के और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित सभी अध्यादेशों के ,और
iii. इस संविधान के अधीन अथवा संसद या किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन निकाले गए या बनाए गए सभी आदेशों, नियमों, विनियमों और उपविधियों के, प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे।

2. खंड(1) के उपखंड (क) में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में, जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिन्दी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा परंतु इस खंड की कोई बात ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश को लागू नहीं होगी।

3. खंड (1) के उपखंड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी राज्य के विधान-मंडल ने,उस विधान -मंडल में पुरःस्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में अथवा उस उपखंड के पैरा (iv) में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा से भिन्न कोई भाषा विहित की है वहां उस राज्य के राजपत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद इस अनुच्छेद के अधीन उसका अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

अनुच्छेद 349. भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया-

इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि के दौरान, अनुच्छेद 348 के खंड (1) में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक या संशोधन संसद के किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पुरःस्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा और राष्ट्रपति किसी ऐसे विधेयक को पुरःस्थापित या किसी ऐसे संशोधन को प्रस्तावित किए जाने की मंजूरी अनुच्छेद 344 के खंड (1) के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों पर और उस अनुच्छेद के खंड (4) के अधीन गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के परचात ही देगा, अन्यथा नहीं।

अध्याय 4- विशेष निदेश

अनुच्छेद 350. व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा-

प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को, यथास्थिति, संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा।

अनुच्छेद 350 क. प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं-

प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है।

अनुच्छेद 350 ख. वर्गों के लिए विशेष अधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक-

1.भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा।

2.विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन विषयों के संबंध में ऐसे अंतरालों पर जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा।

अनुच्छेद 351. हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश-

संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामसिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।

"मन की भाषा, प्रेम की भाषा।
हिंदी है भारत जन की भाषा।"

हिन्दी पखवाड़े का आयोजन (वर्ष 2020)

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, मुंबई के विदेश भवन परिसर में दिनाँक 14.09.2020 से 28.09.2020 के दौरान राजभाषा हिन्दी पखवाड़े का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। हिन्दी पखवाड़े का शुभारंभ, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, श्री मनोज कुमार राय द्वारा दीप प्रज्जवलन एवं माँ सरस्वती की वंदना के साथ हुआ।

इस अवसर पर राजभाषा विभागाध्यक्ष एवं पासपोर्ट अधिकारी महोदय द्वारा सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संबोधित किया। इस हेतु कार्यालय में राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने एवं राजभाषा हिन्दी प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए सभी को प्रेरित किया।

हिन्दी पखवाड़े के अवसर पर कार्यालय में विभिन्न राजभाषा प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया एवं इन प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया एवं इनमें घोषित विजेताओं को पुरस्कार का प्रावधान रखा गया। इन प्रतियोगिताओं के नाम, विजेताओं के नाम एवं आयोजन टीम की जानकारी इस प्रकार है:-

1. राजभाषा हिन्दी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता:-

इस वर्ष संबंधित प्रतियोगिता में 19 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में राजभाषा हिन्दी से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए तथा इसमें प्रतिभागियों द्वारा विशेष रुचि दिखाई गई। इस प्रतियोगिता में घोषित विजेताओं के नाम इस प्रकार है:-

प्रथम पुरस्कार:- श्री विकास स्वामी, कनिष्ठ पासपोर्ट सहायक

द्वितीय पुरस्कार:- श्री ललित किशोर मीना, सहायक अधीक्षक

तृतीय पुरस्कार:- श्री धर्मेन्द्र कुमार, कनिष्ठ पासपोर्ट सहायक

2.**निबंध प्रतियोगिता**:- इस वर्ष हिन्दी पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित निबंध प्रतियोगिता में 18 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। संबन्धित प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को निबंध लेखन के लिए 04 विकल्प दिये गए। इस प्रतियोगिता में घोषित विजेताओं के नाम इस प्रकार है:-

प्रथम पुरस्कार:- श्री विशाल हिवाले, कार्यालय सहायक

द्वितीय पुरस्कार:- श्री शिवा मंसावर, कनिष्ठ पासपोर्ट सहायक

तृतीय पुरस्कार:- श्री ललित किशोर मीना, सहायक अधीक्षक

3.**हिन्दी प्रश्नमंच प्रतियोगिता:-** इस वर्ष हिन्दी प्रश्नमंच प्रतियोगिता में 16 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता को आयोजकों द्वारा रोचक बनाने का प्रयास किया गया, जिसमें प्रशासनिक शब्दावली, पासपोर्ट संबंधी शब्द एवं कार्यालय में उपयोगी विभिन्न शब्दों एवं वाक्यों की प्रश्नावली तैयार की गई। इसमें विजेता पाँच प्रतिभागियों को समान पुरस्कार का प्रावधान रखा गया एवं इस प्रतियोगिता में घोषित पाँच विजेताओं के नाम इस प्रकार है:-

1.श्री ललित किशोर मीना, सहायक अधीक्षक

2.श्री धर्मेन्द्र कुमार, कनिष्ठ पासपोर्ट सहायक

3.श्री विकास स्वामी, कनिष्ठ पासपोर्ट सहायक

4.श्री स्नेहल सैनी, कनिष्ठ पासपोर्ट सहायक

5.श्री विशाल हिवाले, कार्यालय सहायक

हिन्दी पखवाड़े की आयोजन टीम:-

1.श्री मनोज कुमार राय, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी:- संरक्षक

2.श्री के. विजयकुमार, अतिरिक्त पासपोर्ट अधिकारी:- प्रश्नमंच प्रतियोगिता का संचालन

3.श्रीमती सुमनबेन पारगी, उप पासपोर्ट अधिकारी:- प्रश्नमंच प्रतियोगिता का संचालन

4.श्री विजय राम मीना, सहायक अधीक्षक:- प्रश्नपत्र तैयार करना

5.श्री तुलसी दास शर्मा, पूर्व क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी:- निबंध उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन

प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी महोदय द्वारा आयोजक समिति एवं समस्त प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया गया एवं भविष्य में भी हिन्दी प्रतियोगिताएं जारी रखने एवं उन्हें और बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रतियोगिता के परिणाम के उपरांत पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विजेताओं को क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी महोदय द्वारा बधाई दी गई एवं तय प्रावधान के अनुसार पुरस्कार वितरण किए गए।

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, मुंबई के अधीनस्थ डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र

1. डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र, दमन:-
दिनाँक 26.03.2017 को दमन और दीव के प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल द्वारा, दमन के सांसद श्री लालुभाई पटेल एवं दीव के सांसद श्री नाथूभाई पटेल की उपस्थिति में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र, दमन का उद्घाटन किया गया। यह सेवा केंद्र मोती दमन के प्राचीन किले में स्थित है। प्राचीन काल में पुर्तगाल उपनिवेश होने के कारण पासपोर्ट की माँग यहाँ बहुतायत में रहती है।

2. डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र, औरंगाबाद:- मुंबई से लगभग 350 किमी. की दूरी पर स्थित होने के कारण औरंगाबाद क्षेत्र के आवेदकों के लिए आवेदन के लिए मुंबई आना एक मुख्य समस्या थी। औरंगाबाद शहर में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र, औरंगाबाद का उद्घाटन दिनाँक 28.03.2017 को स्थानीय सांसद माननीय श्री चन्द्रकान्त खैरे द्वारा किया गया।

3.डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र, सिलवासा
यह पासपोर्ट सेवा केंद्र दमन और दीव एवं दादरा-नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। इस केंद्र का उद्घाटन दिनाँक 17.04.2017 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा डिजिटल तरीके से किया गया। प्रमुख औद्योगिक केंद्र होने के कारण यहाँ पासपोर्ट की माँग बहुतायत में रहती है।

4.डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र, विक्रोली:-

विक्रोली एवं उसके आसपास के क्षेत्र में आवेदकों की बढ़ती माँग को देखते हुए विक्रोली क्षेत्र में पासपोर्ट सेवा केंद्र शुरू करने का निर्णय लिया गया। यह केंद्र दिनाँक 05.03.2018 को माननीय सांसद महोदय श्री किरीट सोमैया द्वारा फीता काटकर शुरू किया गया।

5.डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र, जलगांव:-

पासपोर्ट सेवा केंद्र, जलगांव का उद्‌घाटन माननीय सांसद श्री ए. टी. नाना पाटिल द्वारा दिनाँक 25.03.2018 को किया गया। मुंबई से लगभग 425 किमी. की दूरी पर स्थित होने के कारण जलगांव क्षेत्र के आवेदकों के लिए आवेदन के लिए मुंबई आना एक मुख्य समस्या थी। जलगांव पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने के फैसले का क्षेत्र के पासपोर्ट आवेदकों द्वारा खुले मन से स्वागत किया गया।

6.डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र, राजापुर:-

यह पासपोर्ट सेवा केंद्र महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में स्थित है। कोंकण क्षेत्र का यह स्थान अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। इस पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्‌घाटन रत्नागिरी जिले के पालक मंत्री श्री रवीन्द्र वायकर द्वारा स्थानीय सांसद श्री विनायक राऊत की उपस्थिति में दिनाँक 12.08.2018 को किया गया।

7. डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र, धुले:-

यह कार्यालय मुंबई से लगभग 300 किमी. दूर महाराष्ट्र के धुले जिले में स्थित है। क्षेत्र में पासपोर्ट सेवा केंद्र खुलने के बाद आवेदकों के लिए पासपोर्ट आवेदन बेहद आसान हो गया है तथा क्षेत्र में पासपोर्ट आवेदकों की संख्या में बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र, धुले का उद्घाटन माननीय सांसद श्री सुभाष भामरे द्वारा दिनाँक 03.03.2019 को किया गया।

8. डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र, भुसावल:-

पासपोर्ट सेवा केंद्र, भुसावल का उद्घाटन माननीय सांसद श्रीमती रक्षाताई खड्से द्वारा दिनाँक 02.03.2019 को किया गया। भुसावल केले की खेती के लिए जाना जाता है। शहर आंतरिक और बाह्य रूप से केले का एक प्रमुख निर्यातक है और राज्य के केले की खेती का 40% से अधिक का उत्पादन करता है।

9. डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र, सायन:-

यह कार्यालय दक्षिण मध्य मुंबई संसदीय क्षेत्र के सायन क्षेत्र में स्थित है। स्थानीय सांसद माननीय श्री राहुल शेवाले द्वारा दिनाँक 05.03.2019 को डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र,सायन का उद्घाटन किया गया। यहाँ पासपोर्ट सेवा केंद्र खुलने से आसपास के क्षेत्रों जैसे:- सायन, कुर्ला, जी.टी.बी. नगर, धारावी आदि क्षेत्रों के आवेदकों को काफी सहूलियत मिली है।

10. डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र, वाशी:-

डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र, वाशी का उद्घाटन महाराष्ट्र सरकार के लोकनिर्माण मंत्री श्री एकनाथ शिंदे द्वारा माननीय सांसद श्री राजन विचारे की उपस्थिति में दिनाँक 13.07.2019 को किया गया। यह पासपोर्ट सेवा केंद्र नवी मुंबई जिले के वाशी क्षेत्र में स्थित है, जो नवी मुंबई क्षेत्र में स्थित एक मात्र पासपोर्ट सेवा केंद्र है।

11. डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र, सांताक्रूज:-

यह पासपोर्ट सेवा केंद्र उत्तर मध्य मुंबई संसदीय क्षेत्र में स्थित है। स्थानीय सांसद श्रीमती पूनम महाजन द्वारा दिनाँक 13.09.2019 को डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र, सांताक्रूज का उद्घाटन किया गया। यहाँ पासपोर्ट सेवा केंद्र खुलने से अंधेरी एवं मालाड पासपोर्ट सेवा केन्द्रों में होने वाली भीड़ में भी कमी देखने को मिली है।

12. डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र, भिवंडी:-

यह पासपोर्ट सेवा केंद्र महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित है। इसका उद्घाटन दिनाँक 19.09.2019 को स्थानीय सांसद श्री कपिल पाटिल द्वारा किया गया। यहाँ पासपोर्ट सेवा केंद्र खुलने की मांग लंबे समय से की जाती रही है, इससे यहाँ के आवेदकों द्वारा पासपोर्ट आवेदन अत्यंत सुगम हो गया है।

मुंबई दर्शन

1.मरीन ड्राइव:

नरीमन पॉइंट के उत्तर से शुरू होकर प्रसिद्ध चौपाटी समुद्र तट पर समाप्त होता है। मरीन ड्राइव दक्षिण मुंबई के समुद्री तट के साथ एक 3 किमी लंबी चाप के आकार की सड़क है। तट अरब सागर को दर्शाता है और मुंबई में सूर्यास्त देखने के लिए सबसे अच्छी जगह है।

2.जुहू तट:-

मुंबई में सबसे लोकप्रिय समुद्र तट, जुहू समुद्र तट अंधेरी के करीब स्थित है और काफी खूबसूरत समुद्र तट है। यहाँ लोग समुद्र की लहरों का लुत्फ लेने के लिए दूर-दूर से आते है। सांताक्रूज और विले पार्ले रेलवे स्टेशन यहाँ पहुँचने के लिये निकटतम रेलवे स्टेशन है।

3.गेटवे ऑफ इंडिया:-

मुंबई में सबसे प्रतिष्ठित स्मारक में से एक, द गेटवे ऑफ इंडिया वर्ष 1924 में बनाया गया था। अब यह शहर में एक लोकप्रिय पर्यटन केंद्र बन गया है। विश्व प्रसिद्ध ताज होटल का दृश्य भी यहाँ से देखा जा सकता है।

4.एलीफेंटा की गुफाएँ:-

यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल, एलीफेंटा गुफाएँ मध्ययुगीन भारत के समय से भिति-चित्र कला और वास्तुकला का एक नमूना है। यह एक द्वीप है और मुंबई शहर से 11 किमी की दूरी पर स्थित है। यह मुंबई के क्षितिज का एक अद्भुत दृश्य भी प्रदान करता है।

5.फिल्म सिटी,मुंबई:-

भारतीय फिल्म उद्योग दुनिया में सबसे बड़े में से एक है और फिल्म सिटी इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह एक ऐसी जगह है, जहां वास्तविकता और बनावटीपन के बीच अंतर करना मुश्किल है।यह मुंबई के गोरेगांव में स्थित विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई है तथा बॉलीवुड की अधिकांश फिल्मों की शूटिंग यहीं पर की जाती है।

6.संजय गाँधी राष्ट्रीय उद्यान:-

यह एक वन्यजीव अभयारण्य है और व्यस्त मुंबई के बीच में वनस्पतियों और जीवों की बहुतायत के लिए एक निवास स्थान है। यहां तेंदुए, मैकाक, जंगली सुअर, शेर, फ्लाइंग फॉक्स, किंगफिशर, सनबर्ड आदि जानवर पाये जाते हैं। पूर्व में यह बोरिवली राष्ट्रीय पार्क के नाम से जाना जाता था।

7. सिद्धिविनायक मंदिर:-

प्रभादेवी में स्थित सिद्धिविनायक मंदिर भगवान गणपति का प्रसिद्ध मंदिर है। मंदिर में श्री गणेश जी की मूर्ति है, जो लगभग ढाई फीट चौड़ी है और काले पत्थर के एक टुकड़े से बनी है। गर्भगृह के लकड़ी के दरवाजे अष्टविनायक की छवियों के साथ खुदी हुई हैं और गर्भगृह की आंतरिक छत को सोने से मढ़ा गया है।

8. हाजी अली दरगाह:-

हाजी अली दरगाह, पीर हाजी अली शाह बुखारी का मकबरा है, जो दक्षिणी मुंबई में वर्ली के तट पर एक टापू पर स्थित है। जीवन के सभी क्षेत्रों और धर्मों के लोग आशीर्वाद लेने के लिए यहां आते हैं। रमजान, ईद और बकरीद के दूसरे दिन लाखों श्रद्धालु दरगाह जाते हैं और अमन और शांति का संदेश देते हैं।

9. छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस:-

इसे विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से भी जाना जाता है। वास्तुकला की विक्टोरियन-गोथिक शैली में निर्मित, रेलवे स्टेशन को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। यह स्टेशन भारत में स्वतंत्रता-पूर्व ब्रिटिश राज का प्रतीक एवं सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है।

10. बांद्रा वर्ली सी लिंक:-

मुंबई के समुद्र तट पर,यह समुद्री लिंक वास्तुकला निर्माण का अदभुत नमूना है जो मुंबई शहर के आधुनिक बुनियादी ढांचे को दर्शाता है। इसे आधिकारिक तौर पर राजीव गांधी सागर लिंक के रूप में जाना जाता है। बांद्रा वर्ली सी लिंक की सुंदरता इसकी अभियांत्रिकी प्रतिभा में है जो समुद्र पर बने इस निर्माण को अनोखा एवं अतुलनीय बनाती है।

11. कान्हेरी की गुफाएँ :-

यह मुंबई में बोरीवली के पास, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है तथा मुंबई में कान्हेरी गुफाएँ गुफाओं के रूप में भित्ति-चित्र स्मारकों का एक समूह हैं। गुफाएँ और चित्र, स्वयं, भारतीय कला और संस्कृति पर बौद्ध प्रभाव का चित्रण करते हैं। ये गुफाएं अपनी प्राचीन मूर्तियों, नक्काशी, चित्रों और शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध हैं जो पहली शताब्दी से लेकर 10 वीं शताब्दी तक की हैं।

12. वैश्विक विपश्यना पैगोड़ा:-

यह मुंबई के गोरई में स्थित पत्थर का बना विश्व का सबसे बड़ा गुंबद है, जो बिना किसी खंभे के बनाया गया है। यह भगवान बुद्ध के जीवन और गैर सांप्रदायिक शिक्षा को प्रदर्शित करता है। वैश्विक विपश्यना पैगोड़ा, महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम द्वारा "महाराष्ट्र के सात अजूबों में से एक" के रूप में घोषित किया जाता है, जो एक मराठी समाचार चैनल एबीपी माजा के साथ साझेदारी में है।

कोरोना से सामना

कल रात...कोरोना से हुआ मेरा सामना
कल रात...कोरोना से हुआ मेरा सामना
वो मुझ पर झपटा...पर औंधे मुँह गिरा
क्यूंकि मेरे उसके बीच...1 मीटर का था फासला
वो चिढ़कर बोला क्या लगता है तुझे...इस तरह बच जाएगा तू
मैं बोला मेरी छोड़...अब खुद ही निपट जाएगा तू
तेरी औकात थी...तेरी औकात थी...सिर्फ 2020 तक ज़िंदा रहने की
मेरे देश ने थी ठानी...खुद वैक्सीन बनाकर तुझे जड़ से ख़त्म करने की..
तेरी जैसे मुसीबत से निपटने के लिए मेरे देश वासियों ने धैर्य से लिया था काम
मास्क, सेनिटाइज़र और सोशल डिस्टन्सिंग ने ही कर दिया है तेरा तो आधा काम-तमाम
रही-सही कसर..रही-सही कसर हम "हिंदुस्तानी वैक्सीन" लगवाकर पूरी कर देंगे
तुझे तो क्या...हम तेरे भाई-बहनों को भी नेस्तनाबूत कर देंगे
ये सुनकर कोरोना घबराया...बोला दुनियाँ जो ना कर पायी वो तुमने कैसे सोचा
मैं बोला बेटा...मेरा हिंदुस्तान है ही इतना अनोखा
हम जात-पात...बोली-भाषा...या विचारों से चाहे लगते हो भिन्न
पर हर मुसीबत में..."हम एक थे...एक हैं...और एक ही रहेंगे"
इसीलिए 2021 में तू ना टिक पायेगा अब...एक भी दिन !!

जय हिन्द...जय महाराष्ट्र

श्री अशोक कुमार
वरिष्ठ पासपोर्ट सहायक

ध्यान प्रक्रिया

ध्यान एक प्रक्रिया है जिसके कई चरण हैं, इन कई चरणों में पहले चक्रों को किया जाता है। ध्यान की सिद्धि के बाद व्यक्ति अपार शांति का अनुभव करता है और ध्यान की इस विद्या को समाधि कहा जाता है। तमाम गुरुओं और आचार्य ने ध्यान की अलग-अलग विधियाँ बताई है, इन सबके उद्देश्य है :- ईश्वर की अनुभूति।

मन की एकाग्रता से आने वाली शांति को पाने का रास्ता ध्यान है। ध्यान योग का महत्वपूर्ण तत्व है,जो तन, मन और आत्मा के बीच तथात्मक संबंध बनाता है। ध्यान के लिए सुबह का समय अति उत्तम है, तथा ध्यान करने से पहले प्राणायाम जरूर करे, इससे सांस स्थिर होगी। प्रदूषण और काम के अधिक दबाव से व्यक्ति तनाव और मानसिक थकान का अनुभव करता है। निरंतर ध्यान करने से मस्तिष्क को नई ऊर्जा मिलती है और तनाव मुक्ति में सहायता मिलती है।

ध्यान करने से हमारा मन शांत, निर्मल और अधिक प्रसन्न रहता है। ध्यान साधना के नियमित अभ्यास से सकारात्मक मनोभाव हमारी आदत में समाहित हो जाता है। ध्यान के द्वारा मनोबल को विकसित कर सकते है। साररूप में कहें तो ध्यान एक अन्तर्मन की यात्रा है, हम सबको इस यात्रा का अनुभव करना चाहिए।

सी. डी. सूर्यवंशी
सहायक पासपोर्ट अधिकारी

कर भला सो हो भला !

"तू करता वही है, जो तू चाहता है, होता वही है, जो मैं चाहता हूँ,
तू वही कर, जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही, जो तू चाहता है।"
- गीता सार

एक मनुष्य प्यास के मारे घूमता घूमता एक विशाल समुंदर के पास जा पहुंचा। भागते भागते,वह लहरों की तरफ पहुंचा। हर्षोल्लास से जैसे ही उसने अपने ओंजल से पानी पिया, तुरंत थूक दिया। पानी खारा था। तभी वह बोला "इतना बड़ा समुंदर, लेकिन इसका पानी इतना खारा? इससे अच्छी तो वह छोटी नदी है जो पहाड़ों से गुजर कर अपना वजूद सीमित होने के बावजूद भी करोड़ों की प्यास बुझा देती है"।

सचमुच, हम बड़े होकर भी दूसरों की सहायता नहीं कर सकते तो हमारे बड़प्पन का क्या फायदा? यहाँ 'सूरज' नहीं बल्कि छोटा सा 'दिया' बन कर भी हम दूसरों को रोशनी दिखा सकते हैं, तो छोटा 'दिया' ही क्यों ना बने? किसी ने सच कहा है - 'ना आदमी पद से बडा होता है ना कद से, जो दूसरों की तकलीफों में खडा होता है वही सबसे बडा होता है!' ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है वह दूसरों को मार्ग दिखाने के लिए। ये अपने दो बाजुओं में ताकत दी है वह गिरे हुए इंसान को उठाने के लिए। और जो धन-दौलत दी है वह दान धर्म करने के लिए। किसी से बेहतर करूं इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन किसका बेहतर करूं इससे बहुत फर्क पड़ता है! जो देने में मजा है वह पाने में नहीं।प्रमाण है कि जो जो ऊंचा उड़ा है, जिस जिस ने आसमान की ऊंचाई हासिल की है वह अंततः उतनी ही गति से नीचे जमीन पर भी आता है। जीवन में उतार चढ़ाव आना यह प्रकृति का नियम है। ऐसे में जब वह शख्स निचले पायदान पर आता है, तभी उस पायदान के उसके समवयस्क सोचते हैं कि उसको अब उठाना है या और भी दबाना है। अब यहां उस शख्स ने उसकी ऊंचाई में किया हुआ सारा कर्म जो अच्छा हो या बुरा वह उसके इस प्रतिकूल परिस्थितियों में काम आता है। इसलिए कहा जाता है कि जैसा कर्म वैसा ही फल मिलता है।

गीता में कहा गया है , 'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि।' अर्थात 'कर्म करो और फल की चिंता मत करो'। नेकी कर दरिया में डाल! बेशक कोई चले या ना चले हमें अच्छाई के रास्तों पर चलते ही रहना है। अच्छाई की राहों पर चलना, अच्छे काम करना हमेशा फायदेमंद होता है। एक छोटी सी कहानी है। एक गांव के बाहर एक गुरुकुल होता है जिसमें एक गुरु के पास कुछ शिष्य पढ़ते हैं। वर्ष के अंतिम समय में एक अंतिम परीक्षा होती है। गुरुजी एक गुफा के प्रवेशद्वार पर सारे शिष्यों को लेकर जाते हैं और कहते हैं "इस अंधेरी गुफा से नंगे पांव सभी को जाना है और उसके दूसरे निकासद्वार से जल्दी जल्दी बाहर आना है। सभी शिष्य अंधेरी गुफा में जाना शुरु करते हैं। नंगे पांव होने के कारण सभी के पांव में कंकड़ चुभने लगते हैं। तभी एक शिष्य जो सबसे आगे होता है वह सोचता है कि मेरे बाद जो भी आएगा उसको वह कंकड़ ना लगे इसलिए वह बैठकर, हाथ से टटोलकर कंकड़ो को अपनी जेब में रखना शुरु कर देता है। उसे देख कर उसके कुछ मित्र भी थोड़े थोड़े कंकड़ अपनी जेब में भर लेते हैं। कुछ मित्र यह सोचते हैं कि यह सब हम करते रहेंगे तो हमें देरी होगी और गुरुजी ने दिया हुआ हमारा कार्य समय से पूरा नहीं होगा और बिना कुछ किए वो वहां से जल्दी-जल्दी

आगे निकल जाते हैं। गुफा के दूसरे द्वार पर गुरुजी यह सब देख रहे होते हैं। देरी से आए शिष्य से गुरुजी पूछते हैं "इतना समय क्यों लिया?" शिष्य जवाब देता है, "गुरुजी कुछ नहीं, रास्ते में बहुत सारे कंकड़ थे तो मैंने सोचा कि मेरे बाद आने वालों को दिक्कत ना हो इसलिए मैंने उन्हें उठाकर अपने जेब में रख दिए।" उन कंकड़ो को अपने जेब से निकालकर गुरुजी के सामने रखते हुए वह कहता है, "यह देखो।" तभी उन कंकड़ो को देख वो और उसके साथ सारे शिष्य स्तंभित हो जाते हैं। क्योंकि वह सारे कंकड़ असली हीरे होते है। अब इसका क्या मतलब? उसके मित्र जिन्होंने थोड़ी सी मदद की थी उनको भी हीरे इक्का-दुक्का में मिले थे, और कुछ लोग जो जल्दी-जल्दी में थे, जिन्होंने कुछ नहीं किया, जिन्हें किसी की परवाह ही नहीं थी, उन्हें कुछ भी नहीं मिला। जिसने दूसरों की भलाई सोची उसे भर-भर के मिला। और यही अच्छाई की जीत है।

सुख-दुख क्या है? सुख-दुख यह जीवन के अंग है। बिना दुख हम सुख का एहसास नहीं कर सकते। जैसे हम चिकनाईवाले रास्ते पर चल नहीं सकते वैसे ही हम जिंदगी में बिना कठिनाई के बिना जिंदगी के रास्ते पर मजबूती से नहीं चल सकते। जब हम जिंदगी को सकारात्मक लेंगे तभी जीवन का असली भावार्थ हमें समझ में आएगा और हमें खुशी मिलेगी। कोई भी इंसान गलत नहीं होता। दरअसल उसकी सोच गलत होती है। हमें अपनी गलत सोच को बदलना चाहिए। बुरे कर्म से आपका दिल छोटा हो जाता है और अच्छे कर्म से आपका दिल बड़ा हो जाता है। कोई भी इंसान किसी के कहने पर बुरा काम छोड़ नहीं सकता जब तक वह खुद ना सोचे। खुद को बदलने की जो शक्ति है, वह अंदर से ही आती है, बाहर से नहीं। बुरे कर्म वाला खुद नीचे धंसता ही चला जाता है और एक दिन दुसरों के साथ साथ अपनी खुद की नजर में भी गिर जाता है। कोई भी काम जिसे करने से हमारे अंदर डर पैदा होता है वह बुरा कर्म है और जिस काम से हम निडर बनते हैं, हमें खुशी मिलती है वह अच्छा कर्म है।

कुन्दन सुरेश करगुटकर
अधीक्षक

सकारात्मक दृष्टिकोण

एक राजा के केवल एक पैर और एक आंख थी, लेकिन वह बहुत बुद्धिमान और दयालु था। उनके राज्य में हर कोई अपने राजा की वजह से एक खुशहाल और स्वस्थ जीवन जीता था। एक दिन राजा महल के दालान से गुजर रहा था और उसने अपने पूर्वजों के चित्र देखे। उसने सोचा कि एक दिन उसके बच्चे उसी दालान में चलेंगे और सभी पूर्वजों को अपने चित्रों के माध्यम से याद करेंगे, लेकिन राजा ने अपने चित्र को चित्रित नहीं किया। शारीरिक अक्षमताओं के कारण, उन्हें यकीन नहीं था कि उनका चित्र कैसा बनेगा? अत: उन्होंने कई प्रसिद्ध चित्रकारों को अपने दरबार में आमंत्रित किया। राजा ने घोषणा की, कि वह महल में लगाने के लिए स्वयं का एक सुंदर चित्र चाहता है। उनका सुंदर चित्र बनाने वाले चित्रकार को पुरस्कार दिया जाएगा।

सभी चित्रकार यह सोचने लगते हैं कि राजा के पास केवल एक पैर और एक आंख है, उनकी तस्वीर को बहुत सुंदर कैसे बनाया जा सकता है। यह संभव नहीं है और यदि चित्र सुंदर नहीं बना तो राजा क्रोधित हो जाएगा और उन्हें दंड देगा। इसलिए, सभी बहाने बनाने लगे और राजा का चित्र बनाने के लिए विनम्रता से मना कर दिया। लेकिन, एक चित्रकार ने अपना हाथ उठाया और कहा कि मैं आप का एक बहुत सुंदर चित्र बनाऊंगा जिसे आप निश्चित रूप से पसंद करेंगे।यह सुनकर राजा खुश हो गया और अन्य चित्रकारों को उत्सुकता हुई। राजा ने उसे अनुमति दी और चित्रकार ने चित्र के साथ छिपे हुए क्षेत्रों की चित्रकारी करना शुरू कर दिया। अंत में, लंबा समय लेने के बाद, उन्होंने चित्र तैयार कर दिया।अन्य चित्रकार उत्सुक और घबराए हुए थे कि चित्रकार राजा को सुंदर कैसे बना सकता है, क्योंकि राजा शारीरिक रूप से अक्षम है? अगर राजा को चित्र पसंद नहीं आया और राजा नाराज हो गया तो क्या होगा? लेकिन जब चित्रकार ने इसे पेश किया, तो राजा समेत सभी लोग दंग रह गए। चित्रकार ने एक चित्र बनाया, जिसमें राजा घोड़े पर बैठा था, उसके पैर पर धनुष चढ़ा हुआ था और उसने अपनी एक आंख बंद करके अपने तीर को निशाना बनाया। राजा को यह देखकर बहुत प्रसन्नता हुई कि चित्रकार ने राजा की अक्षमता को छिपाकर बहुत सुंदर चित्र बनाया है। राजा ने उसे बहुत बड़ा इनाम दिया।

कहानी की शिक्षा

सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए किसी भी कठिन परिस्थिति को आसानी से हल किया जा सकता है।

ऋषिकेश तोड़कर
डाटा एंट्री ऑपरेटर

आधुनिक संस्कृति

आधुनिकता प्राचीन काल से स्वप्रेरित होकर नवीन भावों के अन्वेषण की प्रक्रिया है। यह पाश्चात्य संस्कृति का समन्वित रूप है। प्राचीन समाज अंधविश्वासी, रूढ़िवादी, परंपरावादी व्यक्तियों और प्रगतिधारी विचारधाराओं वाले व्यक्तियों से बना था। इसका कारण यह है कि मनुष्य विभिन्न सामाजिक दायरों में रहता है, सोचता है व कार्य करता है क्योंकि भारत संस्कृतियों का एक समृद्ध देश है, जहाँ लोग अपनी संस्कृति में रहते हैं और समस्त भारतीय संस्कृति का बहुत सम्मान करते हैं।

"धीमे-धीमे मनुष्य विकसित होता गया, जिससे प्रगतिशील जीवन में अनेक बदलाव देखने को मिले। आज जिसे हम रूढ़िवादिता का नाम देते हैं, वह प्राचीनकाल में आधुनिकता का सूचक रहा होगा। उदाहरणतः हम कह सकते हैं की किसी भी विकसित देश की किसी जाति के व्यक्ति को यदि उसी देश के पिछड़े क्षेत्रों के कबीलों में भेज दिया जाए तो वह, वहाँ का सबसे आधुनिक व्यक्ति माना जाएगा। अतः इस संदर्भ में यह कहा जा सकता हैं की आधुनिकता कथन पर या तथ्यों पर नहीं, बल्कि दृष्टिकोण पर आधारित होती है।"

भारतीय जीवन शैली पर गहरा प्रभाव-आधुनिक संस्कृति का भारतीय जीवन संस्कारों पर दिखाई देता है, उसे नकारा नहीं जा सकता है। आज हम बच्चों का जन्मदिन मोमबत्ती बुझाकर मनाते हैं, विवाह, गृह-प्रवेश, "पूजा-पाठ" या कोई भी धार्मिक कार्य हो उसे शीघ्रतम निपटाना चाहते हैं। प्रयास करने का किसी कार्य को सोचने से परे हो गया है। प्राचीनता को आधुनिकता में परिवर्तन करने का प्रयास द्रुत गति से जारी है। वर्तमान समय में परिवर्तन दौर इस कदर जारी है कि आयुर्वेदिक चिकित्सक, एल्योपैथिक पद्धति से रोगो का इलाज़ कर रहे हैं। पूजा-अर्चना में धूप-बत्ती का स्थान बिजली के बल्ब ने ले लिया है। प्रकाश के तौर पर बिजली के बल्ब का उपयोग किया जा रहा है। पाजामा-धोती नाइट-सूट बन गया है। साफा से टोपी का उपयोग होने लगा है। जूते पहन कर मेज कुर्सी पर भोजन करने लगे हैं। सुबह का पहला सुकर्म माँ का चरण-स्पर्श को भी परिवर्तित करके हैलो मॉम, हाय मॉम, गुड मॉर्निंग में परिवर्तित हो गया है। वर्तमान शैली इतनी आधुनिक हो गयी है कि केक काटकर और मोमबत्ती बुझाकर जन्मदिन मनाया जाता है। जबकि प्राचीन काल में जरूरतमंदो को सहायता प्रदान करके, भूखों को खाना खिलाकर, गौ माता को चारा खिलाकर अपने जन्मदिवस को मनाया जाता था।

सर्वप्रथम, शहरीकरण से आधुनिक युग की शुरुआत हुई। इस शुरुआत से रूढ़िवादिता की समाप्ति हुई और समाज में रहन-सहन, बोल-चाल में भारी परिवर्तन हुआ। पहले की विचार-धारा को सोचा जाए तो हमे समझ आता है कि पहले राज-शासनकारों, राजा-महाराजाओं के द्वारा धर्म की रक्षा की जाती थी। उनकी दृढ़-निष्ठा इतनी प्रबल थी कि उसके लिए विद्रोह भी करना पड़ा तो पीछे हटना धर्म के विरुद्ध समझा जाता था।

शहर का आधुनिकीकरण इतना बढ़ गया हैं कि शहरी व्यक्ति गरीबी कि दयनीय दशा से बेखबर वातानुकूलित घरों में रहता है। उनके घर बौद्धिक विलास की सभी आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण युक्त रहता है। जैसे:- प्रेस, टेलीविज़न, फ्रिज (रेफ्रीजरेटर) इत्यादि सुविधाएं उन गरीब दयनीय स्थिति वाले लोगों की परिस्थितियों की जानकारी नहीं देती है। इनसे मनुष्य की संकीर्ण व तथ्यहीन प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता हैं, जिससे वो सिर्फ आधुनिक विलासिता में लिप्त होकर स्वयं में लिप्त रहना, अपनी जीवन की सकारात्मकता में लीन रहता है।

आधुनिक युग समस्त पारंपरिक तथ्यों से स्वतंत्र हो गया है, जो अपने स्वार्थ में भी लीन हैं और सांस्कृतिक विभिन्न तथ्यों, प्रभुत्वों का जमघट/रूप बन गयी है। आधुनिक मनुष्य आत्मिक शांति/एकता का नहीं बल्कि शरीर व मानसिकता का अनेकात्मक उदाहरण बन कर रह गया है। प्राचीन समाज आदर्शवादी था और आधुनिक समाज कृतिम भाव और धुंधले आस की ओर उलझे हुये जीवन की शैली है।

हेमंत मीना
कनिष्ठ पारपत्र सहायक

विज्ञान की प्रगति एवं मानवीय मूल्यों का ह्रास

वर्तमान वैज्ञानिक युग में चाहे कोई भी क्षेत्र हो वैज्ञानिक आविष्कारों एवं खोजों से बनाई गयी वस्तुओं का प्रचलन दिनों-दिन बढ़ता ही जा रहा हैं। चाहे रेल हो या हवाई जहाज, चलचित्र हो या चिकित्सा उपकरण या फिर कम्प्यूटर या स्मार्टफोन हमारे जीवन की दिनचर्या में इनका समावेशन प्रत्येक जगह पाया जाता हैं।

जहाँ एक तरफ मानव विज्ञान की प्रगति के उच्चतम शिखर तक पहुचने का प्रयास कर रहा हैं वहीं दूसरी ओर वर्तमान युग में मानवीय मूल्यों तथा आस्था, सहानुभूति, ईमानदारी, प्रेम, संयम आदि का ह्रास होता जा रहा हैं। जिसकी प्रवृति प्रगति कल्याणकारी से अधिक शोषणकारी हो रही हैं। अगर हम गौर करें तो पाएंगे की जिस प्रकार मानव विकास हेतु विज्ञान आवश्यक हैं उसी प्रकार मानव के विकास हेतु मानवीय मूल्यों का होना बहुत जरूरी हैं। विज्ञान की प्रगति का अर्थ वैज्ञानिक सोच, शोध, आविष्कार आदि में वृद्धि होना हैं। अगर विज्ञान संबन्धित वस्तुओं के प्रयोग में वृद्धि होती हैं तो विज्ञान की प्रगति ही मानी जाती हैं। शासन के संचालन से लेकर चिकित्सकीय कार्यों में इसकी उपयोगिता किसी से छिपी नहीं है। धार्मिक कार्यों को भी संपादित करने में आजकल वैज्ञानिक खोजों की सहायता ली जा रही हैं।

अगर मानवीय मूल्यों की बात की जाये तो मूल्य मानव जीवन के स्वाभाविक एवं सुव्यवस्थित संचालन के लिए आवश्यक होते हैं, मानवीय मूल्य कहलाते हैं। दैनिक जीवन में प्रायः उचित-अनुचित, श्रेष्ठ-निकृष्ट, ग्राह्य-त्याज्य आदि का हम जो निर्णय लेते हैं, उनका आधार मानवीय मूल्य ही होते हैं। जिन मानदंडों की कसौटी पर किसी घटना की सत्यता, व्यक्ति एवं समाज पर पड़ने वाले कल्याणकारी या अकल्याणकारी प्रभाव की परख या किसी वस्तु के गुणों की श्रेष्ठता या विकृष्टता मापी जाती हैं, वे मूल्य कहलाते हैं।

मूल्य के अनुसार किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष,योग्यता आदि की पहचान कर उनके महत्व स्थापित किए जाते हैं। मूल्य भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे मानवीय मूल्य, सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य, राजनैतिक मूल्य, धार्मिक मूल्य, राष्ट्रीय मूल्य, ऐतिहासिक मूल्य, आर्थिक मूल्य आदि। ये मूल्य किसी न किसी आदर्श से जुड़े होते हैं। अहिंसा, नैतिकता, जनहित, राष्ट्रीयता, बंधुत्व, करुणा, त्याग, दया आदि मूल्यों की आधारभूत ईकाईयाँ हैं।

वैज्ञानिक प्रगति द्वारा मानवीय मूल्यों का ह्रास -
1. धार्मिक आस्था में कमी 2. व्यक्ति के संयम में कमी 3. सादगीपूर्ण जीवन का ह्रास 4. मानवीय भावनाओं में कमी 5. लोभ एवं लालच के कारण ईमानदारी मे कमी 6. संयुक्त परिवार की प्रथा के कगार पर 7. भौतिकवादी एवं उपभोगवादी संस्कृति को बढ़ावा 8. स्वार्थ एवं अश्लीलता में वृद्धि के साथ कर्मठता में कमी

गौर से देखने पर यह प्रतीत होता हैं कि वैज्ञानिक प्रगति के कारण मानवीय मूल्यों में आई ह्रास संबंधी तथ्य वास्तविक नहीं अपितु भ्रामक हैं। विज्ञान एक निरपेक्ष विषय है। इसके उपयोग का निर्धारण मानव ही करता हैं। अतः यदि मानवीय मूल्यों का वर्तमान में ह्रास हो भी रहा हैं तो इस स्थिति में लिए वैज्ञानिक प्रगति नहीं अपितु मानव जिम्मेदार होता हैं।

विज्ञान की प्रगति से मानवीय मूल्यों का ह्रास नहीं अपितु मानवीय मूल्यों के विकास को बल मिलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विज्ञान की प्रगति एवं विज्ञान जनित उपकरणों को उपयोग में लाने का प्रकृति ही तय करती है कि मानवीय मूल्यों का उत्थान हो रहा हैं या पतन? यदि मानव संतुलित एवं विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाए तो उसके द्वारा किए जा रहे वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से निश्चित ही मानवता फलीभूत होगी एवं मानवीय मूल्यों का विकास होगा।

महेंद्र कुमार मीना
अधीक्षक

"मन के हारे हार है, मन के जीते जीत"

मन बहुत बलवान है। शरीर की सब क्रियाएँ मन पर निर्भर करती है। यदि मन में शक्ति, उत्साह और उमंग है तो शरीर भी तेज़ी से कार्य करता है। व्यक्ति की हार-जीत उसके मन की दुर्बलता-सबलता पर निर्भर करती है। मानव शरीर यदि रथ के समान है तो यह मन उसका चालक है। मनुष्य के शरीर की असली शक्ति उसका मन है जो मनुष्य से बड़े से बड़े कार्य करवा लेती है। यदि मन में दुर्बलता का भाव आ जाए तो शक्तिशाली शरीर और विभिन्न प्रकार के साधन भी व्यर्थ हो जाते हैं।

एक सैनिक, यदि उसने अपने मन को जीत लिया है तो वह शारीरिक शक्ति एवं अनुमान से कहीं अधिक सफलता पा सकता है। इसके विपरीत यदि उसका मन हार गया तो बड़े से बड़ा शस्त्र भी उसके द्वारा अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। जब तक हम खुद हार नहीं मान लेते तब तक हमे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती। किसी काम को शुरू करने से पहले ही जब हमारा मन ये मान लेता है कि ये काम बहुत मुश्किल है, हम से नहीं होने वाला, तो वो काम वाकई मुश्किल हो जाता है। इसके विपरीत अगर हमारे मन में उसी काम को करने के लिए सकारात्मक विचार होते हैं तो मुश्किलों के बावजूद भी वह काम आसानी से हो जाता है। जीवन में अगर सफलता हासिल करनी हैं तो सकारात्मक सोच रखना बहुत जरूरी हो जाता है।

इस दुनिया में ढेर सारे ऐसे उदाहरण भी है, जो लोग पक्के इरादे के साथ आगे बढ़े, हिम्मत नहीं हारी और अंततः सफलता हासिल की। भले ही देर लगी हो, मुश्किलें भी आई होंगी, मगर मन में एक विश्वास था, लगन थी कि उसको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। अच्छा वक्त हमे खुशियाँ देता है, वहीं बुरा वक्त हमे मजबूत बनाता है। हम अपनी ज़िंदगी की सभी घटनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकते पर उनसे निपटने के लिए सकारात्मक सोच के सही तरीका अपनाकर एसी घटनाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं। कुछ लोग अपनी पहले असफलता से इतना हतोत्साहित हो जाते हैं कि अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं और कभी-कभी अवसाद में भी चले जाते हैं।

अब्राहम लिंकन भी अपने जीवन में कई बार असफल हुये और अवसाद में भी गए, किन्तु उनके साहस, सहनशीलता, सकारात्मकता और मन में सफल होने के गुण के कारण विपरीत परिस्थितियों से लड़कर भी सफलता हासिल की और बहुत सारे चुनाव हारने के बाद अंततः अमेरिका के राष्ट्रपति बने।

थॉमस अल्वा एडीसन, जिन्हे न केवल आविष्कार के रूप में बल्कि उद्यमी के रूप में भी जाना जाता है। प्रकाश बल्ब का आविष्कार करके घर-घर रोशनी पहुचाने वाले एडीसन कई बार अपने कार्य में असफल हुये। अपने प्रयास से 10,000 से भी ज्यादा बार असफल होने पर उनका कहना था कि मैं असफल नहीं हुआ बल्कि मैंने 10,000 ऐसे तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। ऐसी सकारात्मक सोच की वजह से ही वह इतने महान वैज्ञानिक बने और हजारों आविष्कार कर सके। यदि हम बीच में ही रुक गए तो हमेशा मन में अफसोस रहेगा कि काश हमने और कोशिश की होती। अधूरे छूटे कार्य हमेशा कमजोर होने का अहसास दिलाते हैं। जो लोग ईमानदारी से सकारात्मक भाव से किसी कार्य को करने की सोचते हैं, वे बाधाओं से उभरने के तरीके भी तलाशते हैं। वे भले ही असफल हो जाये पर मन से कभी हार नहीं मानते और सफल होने की चाह उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।

अल्पसाधनों वाले महाराणा प्रताप ने अपने मन में दृढ़ संकल्प करके मुगल सम्राट अकबर से युद्ध किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहुत थोड़ी सेना होने के बावजूद औरंगजेब के दाँत खट्टे कर दिये। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका द्वारा किए गए अणुबम के विस्फोट से जापान को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था, किन्तु अपने मनोबल की दृढ़ता के कारण आज वही जापान विश्व के गिने-चुने शक्ति सम्पन्न देशो में से एक है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिन्होने अपने दृढ़ संकल्प से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिला दिया था।

एक ऐसी ही प्रसिद्ध कहानी हैं कि एक राजा ने कई बार अपने शत्रु से युद्ध किया और पराजित हुआ। पराजित होने पर वह एक गुफा में जा छुपा। वहाँ उसने एक मकड़ी को उपर चढ़ते हुये देखा। मकड़ी कई बार उपर चढी पर वह बार-बार गिर रही थी। अंततः वह ऊपर चढ़ ही गयी। इससे राजा को अपार प्रेरणा मिली। उसने पुनः अपने मन में अपने राज्य को पाने का दृढ़ संकल्प लिया और पूरे जोश से युद्ध लड़कर अपने राज्य को जीत लिया।

इस प्रकार के कितने ही उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जिससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हार जीत मन कि दृढ़ता पर ही निर्भर होती है। मनुष्य के मन में असीम शक्ति होती है। व्यर्थ की बातचीत, व्यर्थ के सोच-विचार और बेकार काम करने में वह अपने अपने मन की शक्ति को नष्ट कर देता है। यदि वह अपनी ऊर्जा को बेकार कार्य में ना लगाकर किसी अच्छे कार्य में लगाए तो वह संसार के कोई भी मुश्किल कार्य को आसानी से कर सकता है। किन्तु सफलता पाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि वह इस शक्ति को सिर्फ अपने लक्ष्य को हासिल करने में लगाए। यदि इधर-उधर की फालतू बात हमारे दिमाग में आए तो उसे दिमाग से निकालकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

हम जो कुछ भी करते हैं, पहले मन में उसका ध्यान करते हैं इसका अर्थ यह हुआ कि कार्य का प्रारूप हमारे मन में तैयार होता है। यदि हमारा मन दृढ़ता से उस पर विचार करता हैं तो हमारा चिंतन लाभकारी होता है। व्यवहार में भी दृढ़ता आती है और विचारों में भी जिससे हमे सफलता मिलती है। निराशा कि भावना मनुष्य के मन और तन दोनों को दुर्लभ बनाती है। इसे पास नहीं आने देना चाहिए। इतिहास काल की घटनाओं से शिक्षा लेकर हमे अपने मनोबल का निर्माण करना चाहिए। हमे उसका अनुकरण करना चाहिए, जो बड़े से बड़े संकट में भी घबराए नहीं बल्कि उसका डटकर सामना करे और विजय प्राप्त करें। मन ही हार का कारण बनता है और मन ही जीत का। हमे यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि मन के हारे हार है मन के जीते जीत। हमे हार की ओर नहीं जीत की ओर बढ़ना चाहिए। सफलता या ज़िंदादिली के लिए मन की दृढ़ता बहुत आवश्यक है। हारा हुआ मन कभी कुछ नहीं कर पाता। जीता हुआ मन अंत में सफल हुआ करता है। इसलिए मन को हार के निकट कभी नहीं फटकने देना चाहिए। अंततः,

"हर दिन अपनी ज़िंदगी को एक नया ख्वाब दो, चाहे पूरा न हो पर आवाज़ दो।
एक दिन पूरे हो जाएंगे ख़्वाब तुम्हारे, सिर्फ एक शुरुआत तो दो।"

ललित किशोर मीना
अधीक्षक

जीवन के 05 अध्याय जो मैंने एक काम काजी छात्र के रूप में सीखा

1. आपके पास सोचने से ज्यादा समय है, यह संभव है।

इससे पहले कि मैंने काम करना शुरू कर दिया, जब मेरे जीवन में पूरा समय अध्ययन और दोस्तों और परिवार को देखने का था, तो मुझे लगा कि मैं व्यस्त हूं। जब मैंने कामकाजी छात्र जीवन में एक विशाल छलांग ली तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास कितना समय है। अब मैं किसी को भी लगातार काम करने और अध्ययन करने की वकालत नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करके, मुझे वह मिल सकता है जो मैं अपने जीवन में चाहता हूं। पढ़ाई के अलावा मैं कुछ समय टीवी देखने में बिताता था। मैं हफ्ते में एक बार सिनेमा देखने जाता, दोस्तों और परिवार के साथ कई बार बाहर जाता, और घर के कामों के बजाय घर पर या दोस्तों के साथ फुर्सत के पल बिताता। अब मैंने इस कार्यकलाप में परिवर्तन कर लिया है । मैं अभी भी दोस्तों और परिवार के साथ समय व्यतीत करता हूँ लेकिन मैं हर दिन को समाजीकरन नहीं करता हूं। मैं अभी भी कुछ प्रदर्शन देखता हूं, लेकिन आम तौर पर यह नेटफ्लिक्स के शो की एक कड़ी है, जो मैं वर्तमान में हूं। हां, एक कामकाजी छात्र होना मुश्किल है। लेकिन फिर भी यह संभव है। हर हफ्ते मेरे पास ऐसे क्षण होते हैं जहां मैं जिसे मै खुद से जोड़कर देखता हूँ और अभिभूत महसूस करता हूं। लेकिन हर हफ्ते (ज्यादातर) मैं अभी भी अपना काम पूरा कर लेता हूं, और मेरे पास अभी भी एक जीवन का एक बड़ा हिस्सा शेष है ।

2. ऐसे भी लोग होंगे जो आपसे सहमत नही होंगे।

आपके सामाजिक दायरे में ऐसे लोग होंगे जो आप पर गर्व करते हैं और सोचते हैं कि आप एक कामकाजी छात्र होने के लिए अविश्वसनीय हैं, भले ही उन्हें यकीन न हो कि वे ऐसा कर सकते हैं। ये महान लोग हैं। लेकिन आप उन लोगों के सामने भी आ सकते हैं जो आप के साथ काम करने से सहमत नहीं हैं, जो सोचते हैं कि आप काम करते समय पढ़ाई के लिए पागल हैं। मेरे पास एक काम करने वाला सहकर्मी था जो मुझे बताता था कि मुझे जीवन में जहाँ मैं हूँ उससे संतुष्ट रहना सीखना चाहिए, जैसे महत्वाकांक्षा एक गंदा शब्द है। मैंने यह भी अनुभव किया है कि लोग काम करते हुए पढ़ाई करते हैं, 'ओह, काश मेरे पास पैसे/ समय/ विलासिता होती जो आप कर रहे हैं, लेकिन मैं बहुत व्यस्त हूं/ एक परिवार है... आदि।' ' पारिवारिक मित्र मुझसे पूछते हैं कि मेरी प्रेमिका पढ़ाई के दौरान कैसे परित्यक्त हो जाती है! अधिकांश कामकाजी छात्रों को मैं जानता हूं कि वे इस प्रकार के लोगों और टिप्पणियों में आए हैं। यदि आपके पास है या करते हैं, तो उन्हें अनदेखा करें। अध्ययन करते समय काम करना कई बार कठिन होता है, और यह समय, ऊर्जा और धन में भारी निवेश है। लेकिन हम इसे एक कारण के लिए कर रहे हैं। खुद को बेहतर करने के लिए। इस तरह की टिप्पणियाँ मुझे खटकती थीं, लेकिन अब मैंने उन्हें अनदेखा करना और अपनी खुद की लेन में रहना सीखा है। अब मैं समझता हूं कि मैं अपने निर्णय से खुश हूं और मुझे बाहरी सत्यापन की कोई आवश्यकता नहीं है... और मेरे लिए यह पर्याप्त है।

3. आप जीवन में वह सब कुछ कर सकते हैं जो आप चाहते हैं,लेकिन सिर्फ एक बार ही नहीं।

मैं एक दृढ़ विश्वास है कि हम सब कुछ हम जीवन में चाहते हैं, अगर हम इसे चुनते हैं और इसके लिए काम कर सकते हैं। लेकिन मुझे एक कामकाजी छात्र होने के वर्षों में यह महसूस करना था कि मैं यह सब एक साथ नहीं कर सकता। मैंने अपने आप को और अधिक से अधिक हरा दिया कि मैं काम करते समय अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता नहीं पा सका, जिम गया, अपने दोस्तों और परिवार को बहुत कुछ देखा, अपनी प्रेमिका के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताया, एक सुंदर घर बनाया। एक छोटा सा उद्यान बनाया और सीखा कि कैसे कढ़ाई करें ... सभी समान समय पर। काश, किसी ने मुझे यह बताया होता इससे पहले कि मैंने अध्ययन शुरू कर दिया ताकि मैं अपने मन से आ रही आवाज को यह कहकर रोक सकूं कि मैं पर्याप्त नहीं हूं। यह महसूस करना कठिन है कि आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में असफल नहीं हो रहे हैं, लेकिन एक कामकाजी छात्र होने के नाते कठिन है, और यह आपके समय और मस्तिष्क की बहुत जगह लेता है। मेरे पास अभी भी समय है जहां मुझे यह भद्दा लगता है कि मैं अभी सब कुछ हासिल नहीं कर सकता, लेकिन फिर मुझे याद है कि जीवन एक दौड़ नहीं है। उनके पास पहुंचते ही मुझे चीजें मिलेंगी। और मैं इन सब के साथ संतुष्ट हूँ।

4. आप कितनी दूर आते हैं, इसकी सराहना करें।

एक कामकाजी छात्र के रूप में, समय अक्सर ऐसा लगता है कि जैसे वह फिसल रहा है, जैसे आप एक पहाड़ी के नीचे बोल्डर की तरह समय सीमा के बाद पीछा करते हैं। इस गति का मतलब है कि आप अक्सर एक निबंध पर सबमिट हिट करते हैं और फिर सीधे अगले एक के लिए रीडिंग में कूदते हैं। अक्सर, यह आवश्यक है।लेकिन मैंने सीखा है कि एक मिनट लेना और अपनी प्रगति और उपलब्धियों को प्रतिबिंबित करना बहुत महत्वपूर्ण है।

एक अध्ययन सत्र के अंत में आप जो कर चुके हैं उस के लिए स्वयं जाँच कीजिये। प्रत्येक सप्ताह के अंत में आप जिस भी चीज में बदलाव कर पाये उसके लिए खुद को शाबासी दें। प्रत्येक मॉड्यूल या वर्ष के अंत में पीछे मुड़कर देखें और अपने आप को बधाई दें कि आप कितने दूर हैं- आपके द्वारा विकसित किए गए कौशल और आपके द्वारा अर्जित की गई उपलब्धियाँ। नियमित रूप से पीछे मुड़कर देखने से आपको अधिक आत्मविश्वास और प्रेरणा के साथ आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।

5. आपको आनंद के प्रति भी अपना नजरिया बदलना होगा।

एक कामकाजी छात्र के रूप में मैंने जो सबसे बड़ा सबक सीखा है, वह यह है कि आपको मौज-मस्ती और त्वरित संतुष्टि पर अपना नजरिया बदलना होगा।

मुझे लगता है कि प्रत्येक कामकाजी छात्र को इस अवधारणा को समझने की आवश्यकता है यदि वे कम से कम दर्द के साथ सफल होना चाहते हैं। एक बार जब मैंने स्वीकार कर लिया कि मैं हर समय मज़े नहीं कर सकता हूँ तो प्राथमिकता का अध्ययन करना आसान हो गया। मैं अभी भी आनंद के लिए समय निकालता हूं, हां। लेकिन मैं अध्ययन करने के लिए किए गए निर्णय का भी सम्मान करता हूं जिसका अर्थ है कि अध्ययन करना प्राथमिक है। इस विचार ने अध्ययन के प्रति मेरे नजरिये को पूरी तरह बदल दिया।

अनिकेत आर्यन
कनिष्ठ पासपोर्ट सहायक

उम्मीदों की बारिश

हवाओं के रुख से लगता है कि रुखसत हो जाएगी बरसात,
बेदर्द समां बदलेगा और आँखों से थम जाएगी बरसात।
अब जब थम गयी है बरसात तो किसान तरसा पानी को,
बो वैठा है इसी आस में कि अब कब आएगी बरसात।
दिल की बगिया को इस मौसम से कोई नहीं रही आस,
आजाओ तुम इस बेरूखे मौसम में बन के बरसात।
चांदनी चादर बन ढक लेती हैं जब गलतफेहमियां हर रात,
तब सुबह नई किरणों से फिर होती है खुशियों की बरसात।
सुबह की पहली किरण जब छू लेती हें तेरी बंद पलकें,
चारों तरफ कलियों से तेरी खुशबू की हो जाती बरसात।
नहा धो कर चमक जाती हर चोटी धोलाधार की,
जब पश्चिम से बादल गरजते चमकते बनते बरसात।

"मुंबई की बारिश"

मुंबई शहर की बारिश ऐसे,
मानो समंदर ही बरस गया।
दिन-रात बारिश ही बारिश,
तारे देखने को तरस गया।
यूं तो हर मौसम घर के निहार लेता हूँ,
पर मुंबई की बारिश का मज़ा कुछ और ही है।

काले बादल की कतार जो फुहार छोड़ती है,
आसमान में आकर घनघोर सी लगती है।
वैसे तो बारिश सब जगह होती है,
पर मुंबई की बारिश का मज़ा कुछ और ही है।

विजय राम मीना
अधीक्षक

जीवन है पलछिन

जीवन है पलछिन
गीले सूखे पत्तों सा है पलछिन
जीवन है पलछिन
कड़ी धूप शीतल छांव है पलछिन
जीवन है पलछिन
अल्हड़ बचपन मीठी जवानी विश्राम बुढ़ापा है पलछिन
जीवन है पलछिन
आज यहाँ तो कल कहाँ है पलछिन
जीवन है पलछिन
प्रेम आदर इबादत है पलछिन
जीवन है पलछिन
आते हुए यह पलछिन जाते हुए यह पलछिन
जीवन है पलछिन
एक वो था पलछिन एक यह है पलछिन
जीवन है पलछिन
भरा प्याला खाली प्याला है पलछिन
जीवन है पलछिन
जिसे जैसा देखो वैसा है पलछिन
जीवन है पलछिन
जीवन की कला है जीना पलछिन
चाहे जो भी हो मुस्कुराते जीना है पलछिन
जीवन है पलछिन।

सुनीता अलुरकर
अधीक्षक

“भारत में पासपोर्ट की क्रांति”

पासपोर्ट शिक्षा, तीर्थाटन, पर्यटन, व्यापार, चिकित्सा एवं अपने पारिवारिक सदस्यों से मिलने के उद्देश्य से विदेश आने-जाने वाले लोगों के लिए यात्रा के दौरान एक महत्वपूर्ण प्रलेख होता हैं। पिछलें कुछ वर्षों में बढ़ती अर्थव्यवस्था एवं भूमंडलीकरण के प्रसार की वजह से पासपोर्ट एवं संबन्धित सेवाओं की मांग में वृद्धि हुई हैं। सेवाओं की इस बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए विदेश मंत्रालय ने मई 2010 में पासपोर्ट सेवा परियोजना की शुरुआत की।

पासपोर्ट सेवा की मदद से पासपोर्ट और संबन्धित सेवाओं के प्रदायगी की प्रक्रिया आसान एवं सरल हो गयी एवं इसमे पारदर्शिता आई। इस परियोजना के तहत पासपोर्ट से संबन्धित सरकारी अधिकारियों, आवेदकों के विवरणो के सत्यापन के लिए राज्य पुलिस एवं पासपोर्ट की प्रदायगी के लिए भारतीय डाक को एक नेटवर्क के अंतर्गत एक साथ जोड़ा गया ताकि देशभर में पासपोर्ट जारी करने के लिए इनके बीच एक समन्वय स्थापित किया जा सके।

पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने हाल ही में घोषणा की, कि अगर किसी के पासपोर्ट भारतीय पासपोर्ट हैं, तो वह दुनिया कि किसी भी हिस्से में एक ढाल के रूप में कार्य करेगा। जैसे-जैसे भारतीय अधिक कमाते हैं, विदेशों में अधिक यात्रा करते हैं और देश के बाहर अपने व्यवसायों का विस्तार करते हैं, भारत में पासपोर्ट सेवा वितरण प्रणाली में जो बदलाव आए हैं, वे कई लोगों के लिए एक वरदान के रूप में आए हैं।

परिदृश्य को पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने बदल दिया था, इसके बाद 2008 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टी.सी.एस.) के साथ 10 अरब रुपये का अनुबंध हुआ था। विदेश मंत्रालय द्वारा दिये गए पासपोर्ट और संबन्धित सेवाओं की संख्या और टी.सी.एस. द्वारा प्रबंधित में भारी उछाल आया हैं। 2015, में पहली बार, जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या और संबन्धित सेवाओ में 10-मिलियन का आंकड़ा पार किया। अकेले 2017 में, भारतीयों को 11 मिलियन से अधिक पासपोर्ट जारी किए गए थे। जब से 2012 में TCS ने नयी प्रक्रियाओं का संचालन किया, तब से लोगों को जारी किए गए इन दस्तावेजों की संख्या में 69% कि छलांग लगी हैं। यह सिर्फ इतना नहीं कि अधिक पासपोर्ट गति और सादगी के साथ जारी किए जा रहे हैं-उन लोगों की संख्या में भी तेज़ी आई हैं। वास्तव में, जब से पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह सरकार ने इस मुद्दे की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया है, भारत में पासपोर्ट धारकों की संख्या में 4 गुना वृद्धि हुई हैं। इन प्रभावशाली वृद्धि आकड़ों के साथ, इन पासपोर्ट सेवाओं की डिलीवरी की गति भी उल्लेखनीय रही हैं।

हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 58 के वीजा-मुक्त स्कोर के साथ भारत सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट रिपोर्ट में 85वे स्थान पर हैं। भारतीय यात्रियों के लिए अधिक यात्रा करने और एक उज्ज्वल ग्लोबट्रोटिंग भविष्य के लिए जब पासपोर्ट की बात आती हैं, तो इसे या तो पूरी दुनिया के लिए अपने प्रवेश द्वार के रूप में देखते हैं या अपनी यात्रा की स्वतन्त्रता की बाधा के रूप में। इन पहलों से अन्य देशों को अपने देशों में भारतीय पासपोर्ट धारकों की यात्रा को पुनः प्राप्त करने और सुविधाजनक बनाने के लिए प्रोत्साहित करने की उम्मीद करते हैं।

निशांत ददवाल
सहायक अधीक्षक

"ये है मुंबई मेरी जान"

ये है मुंबई मेरी जान,
मुंबई तेज है,मुंबई धीमी है।
मुंबई बेबाक सी है और थोड़ी बेकाबू भी
मुंबई बेताब सी है और बैचेन भी

सपनों की दुनिया है मुंबई
बॉलीवुड की मस्ती है मुंबई।
वड़ापाव की महक है मुंबई
मंजिलों की उड़ान है मुंबई।

हर तेहजीब को अपनाती है मुंबई
हर मुश्किल में एकता दिखाती है मुंबई।
हर दर्द की दवा है मुंबई
बहादुरी की मिसाल है मुंबई।

इसलिए मुंबई माँ कहलाती है।
अँग्रेजी में MUM,
गुजराती में बा,
मराठी में आई,
यही तो है,
मुंबई मेरी जान।

संगीता कमोद
अधीक्षक

काम की भावना
शिष्टाचार, सम्मान और विचारशीलता कार्य-सफलता की नींव कैसे बनाते हैं।

शिष्टाचार

शिष्टाचार दूसरों के साथ दया का व्यवहार है। हम बोलने और काम मे समय लेते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि हम उन्हें महत्व देते हैं और उनका सम्मान करते हैं। हम अपने शिष्टाचार को याद करते हैं, दूसरों को गर्मजोशी से अभिवादन करते हैं, और जब वे बोलते हैं तो निकट से सुनते हैं। शिष्टाचार दूसरों को सम्मान देने का एक तरीका है, यह दर्शाता है कि वे हमारे साथ किस तरह व्यवहार करते हैं, यह हमारे लिए कितना मायने रखता है। हमारे सबसे करीबी लोगों को हमारे शिष्टाचार की सबसे ज्यादा जरूरत है। शिष्टाचार उनके मूल्यों का दर्पण है।

सम्मान

सम्मान नैतिक मूल्य के प्रतीक के रूप में खुद को और दूसरों को सम्मानित करने का एक दृष्टिकोण है। हम प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखते हैं। सभी को सम्मान की उम्मीद करने का अधिकार है। हम अपने शब्दों के सौजन्य से, और अपने स्वर की आवाज़ में सम्मान दिखाते हैं। हम सभी सम्मान के प्रति अति संवेदनशील हैं। जब हम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा हम चाहते हैं कि हम अपने रिश्तों में विश्वास और शांति का स्तर बढ़ाएँ।

विचारशीलता

विचारशीलता सहानुभूति द्वारा निर्देशित दयालुता है। यह सावधानी और ईमानदारी के साथ कार्रवाई का एक कोर्स है। यह अन्य लोगों की जरूरतों को महत्व देता है। हम उनके बारे में सोचते हैं, निरीक्षण करते हैं कि उन्हें क्या चाहिए और मदद की पेशकश करें। हम उनकी पसंद नापसंद पर ध्यान देते हैं और उन चीजों को करते हैं जो उन्हें खुशी देती हैं। हम ध्यान से विचार करते हैं कि हमारे कार्यों का उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। विचारशीलता हमें सच्चा साथी बनने के लिए आत्म-केंद्रितता से आगे बढ़ने में मदद करती है। विचारशीलता के छोटे उपहार किसी के दिन को रोशन कर सकते हैं। आजीवन विचारशीलता आनन्द और विश्वास का पालन करने के साथ हमारे रिश्तों को रोशन करती है।

स्नेहल सैनी
कनिष्ठ पासपोर्ट सहायक

"एक फोटो की आत्म-कथा"

-किसी की एक पल में कमाई जागीर हूँ मैं,
-किसी बेरंग दीवार का अबीर हूँ मैं,
-फिर न लौटने वाले लम्हों का शरीर हूँ मैं,
-किसी के बेलफ़्ज़ ज़िंदगी का कबीर हूँ मैं,
-किसी बेबाम आशिक की हीर हूँ मैं,
-किसी फकीर की झोली में रखा हुआ पीर हूँ मैं,
-किसी निर्वात उम्मीद का समीर हूँ मैं,
-हजारों सपनों को, लाखों मुस्कानों को,
-खुशियों के पैमानों को, दबे हुये आसमानों को,
-एक कागज़ पर समेटे खड़ी तस्वीर हूँ मैं।

रोनीशा रविन्द्रन
डाटा एंट्री ऑपरेटर

एक नागरिक की सामाजिक जिम्मेदारियाँ

समाज वह मूलभूत इकाई हैं जिसके अंतर्गत मनुष्य अपने जीवन का निर्वहन करता हैं। समाज में वह अपने सुख-दुखों को बांटता है तथा समाज में रहकर ही उसे विभिन्न प्रकार के नैतिक मूल्यों की शिक्षा तथा जीवन के अनेक अनुभव सीखने को मिलते हैं।

इतना सब कुछ समझ से मिलने के कारण एक नागरिक की समाज के प्रति कुछ जिम्मेदारियाँ भी हैं जिसका उसे ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करना चाहिए। एक नागरिक को समाज में होने वाले अच्छे कामों का समर्थन तथा बुरे व अनुचित कार्यों का अपने सामर्थ्य के अनुसार विरोध करना चाहिए। आज समाज में बाल विवाह, दहेज-प्रथा, बाल-श्रम, देह-व्यापार, मानव तस्करी जैसे अनेक कुरीतियां व अपराध व्याप्त हैं, जिन पर सरकार द्वारा कड़े कानून बनाने के बावजूद लगाम नहीं लगाई जा सकी हैं तो उसका प्रमुख कारण हैं नागरिकों में चेतना का अभाव तथा ज़िम्मेदारी से मुंह मोड़ लेने की प्रवृत्ति। अठारहवी और उन्नीसवी शताब्दी में भी हमारे देश में सती प्रथा, बाल-विवाह जैसी अनेक सामाजिक बुराइयाँ व्याप्त थी किन्तु राजा मनमोहन राय, स्वामी दयानन्द सरस्वती जैसे अनेक चिंतकों ने इनके प्रति समाज में जागरूकता फैलाने का काम किया। एक नागरिक के तौर पर हमारी यह ज़िम्मेदारी हैं कि हम समाज में मौजूद गरीब, दिव्यांग तथा वृद्धों की यथासंभव सहायता करें। आज अनेक गैर-सरकारी संगठन, विधवा आश्रम, वृद्धाश्रम इत्यादि के माध्यम से समाज में जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त सरकार भी मुफ्त अनाज, आरक्षण, उज्ज्वल योजना, सौभाग्य योजना इत्यादि के माध्यम से सामाजिक समानता लाने का प्रयास कर रही है।

अतएव यह कहा जा सकता है कि यदि प्रत्येक नागरिक अपनी सामाजिक ज़िम्मेदारी को समझे तो समाज में व्याप्त अनेक बुराइयों को दूर किया जा सकता है।

मनोज कुमार
कनिष्ठ पासपोर्ट सहायक

ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है

बेंजामिन फ्रेंकलिन के द्वारा कही गयी एक आम कहावत "ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है", बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है। "ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है" का अर्थ है, पूरे जीवन में यहाँ तक कि किसी भी बुरी परिस्थिति में हमे ईमानदार और सच्चा रहना चाहिए।

ईमानदार होना व्यक्ति के अच्छे और साफ चरित्र को प्रदर्शित करता है। ईमानदार व्यक्ति हमेशा लोगों के दिलों में रहते हैं। एक तरह जहाँ ईमानदारी हमे सरलता की ओर ले जाती है, वही बेईमानी हमे दिखावे की ओर ले जाती है। जीवन में ईमानदार, वफादार और सच्चा होना व्यक्ति को मानसिक शांति प्रदान करता है। रिश्तों की रक्षा करने के लिए ईमानदारी सबसे प्रभावशाली उपकरण है, क्योंकि कोई भी रिश्ता विश्वास के बिना सफल नहीं होता है। ईमानदारी और अच्छा चरित्र अन्य कीमती वस्तुओं जैसे सोना या चाँदी से भी अधिक बहुमूल्य संपत्ति होती है।

जीवन में पूरी तरह से ईमानदार होना कहीं थोड़ा कठिन भी है, लेकिन यह दूर तक साथ चलती है, हालांकि बेईमान होना बहुत ही आसान होता है, लेकिन थोड़ी ही दूर तक साथ देता है और आगे दर्दनाक रास्ते पर ले जाता है। जो लोग ईमानदार हैं उनका परिवार और समाज में हमेशा सम्मान होता है और संसार के सबसे सुखी व्यक्ति होते हैं।

विनय कुमार कंडेरा
कनिष्ठ पासपोर्ट सहायक

सूरज की प्रतीक्षा करें, धूप आएगी।

जब बारिश बंद नहीं होती है
और आप घर नहीं पहुँच सकते,
जब यह महसूस होता है कि सब खो गया है
और तुम सिर्फ दौड़ना चाहते हो,
यह हमेशा के लिए बारिश नहीं कर सकता
सूरज की प्रतीक्षा करें, धूप आएगी।

जब परिवार में दर्द होता है
जब दोस्त नहीं मिल सकते,
जब तुम सिर्फ चीखना चाहते हो
लेकिन आप ध्वनि नहीं ढूंढ सकते,
जब यह आपकी सारी गलती है
और आपको लगता है कि आप कर रहे हैं
बस सूरज की प्रतीक्षा करें, धूप आएगी।

तूफान हमेशा गुजरता है
यह हमेशा के लिए अभ्यस्त है,
बारिश हमेशा रुकती है
और अच्छे मौसम का रास्ता देती है,
सबसे उज्ज्वल और सबसे गर्म दिन अभी भी आने वाले हैं
कृपया सूरज की प्रतीक्षा करें, धूप आएगी।

जिन लोगों को आपकी आवश्यकता है,
जो लोग अब भी आपसे प्यार करते हैं
अपनी आत्मा को अपने ऊपर की धूप की तरह
गर्म कर सकते हैं,आप कभी अकेले नहीं होते,
चाहे कुछ भी हो जाए।
सूरज की प्रतीक्षा करें, धूप आएगी।

काले बादल हमेशा गुजरते हैं।
मैं आपसे वादा करती हूं,
हम सब आपके साथ इंतजार कर रहे हैं।
बस सूरज की प्रतीक्षा करें, धूप आएगी।

आभारी रहें

आभारी रहें कि आपके पास पहले से ही वह सब कुछ नहीं है
जो आप चाहते हैं,यदि आपके पास है, तो आगे देखने के
लिए क्या होगा?

जब आप कुछ नहीं जानते, तो आभारी रहें
इसके लिए आपको सीखने का अवसर मिलता है।

कठिन समय के लिए आभारी रहें,
उस समय के दौरान आप बढ़ते हैं।

अपनी सीमाओं के लिए आभारी रहें,
क्योंकि वे तुम्हें देते हैं, सुधार हेतु अवसर।

प्रत्येक नई चुनौती के लिए आभारी रहें,
क्योंकि यह आपका निर्माण करेगा
शक्ति और चरित्र

अपनी गलतियों के लिए आभारी रहें,
वे आपको मूल्यवान सबक सिखाएंगे।

अच्छी चीजों के लिए आभारी होना आसान है।
समृद्ध तृप्ति का जीवन उन लोगों के लिए आता है
जो असफलताओं के लिए भी आभारी हैं।

आभार नकारात्मक को सकारात्मक में बदल सकता है।
अपनी परेशानियों के लिए शुक्रगुज़ार होने का रास्ता खोजें

और वे आपका आशीर्वाद बन सकते हैं।

लीना नायर
अधीक्षक

कुछ खास अवसर, विदेश भवन

पासपोर्ट अदालत

संसदीय समिति का निरीक्षण

पासपोर्ट सेवा केंद्र आवेदन प्रक्रिया

महान अभिनेता अमिताभ बच्चन जी की पासपोर्ट की आवेदन प्रक्रिया

महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर

विदेश भवन, मुंबई में सचिव (सी.पी. वी. प्रभाग) एवं सयुक्त सचिव (सी.एस.पी. प्रभाग) के दौरे की झलकियाँ, 2020

सयुंक्त सचिव एवं मुख्य पासपोर्ट अधिकारी का विदेश भवन दौरा, 2021

विदाई समारोह के भावपूर्ण छायाचित्र

गणतंत्र दिवस समारोह, 2021 की कुछ झलकियाँ

विशेष कलाकृति

क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी महोदय द्वारा झंडारोहण

गणतंत्र दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र सुरक्षा बल के जवानो द्वारा आयोजित परेड की झलकियाँ

आई. सी.सी. आर की विदेशी छात्राओं के साथ

गणतंत्र दिवस समारोह, 2021 की कुछ झलकियाँ

हल्दी कुमकुम समारोह, विदेश भवन, मुंबई 2021

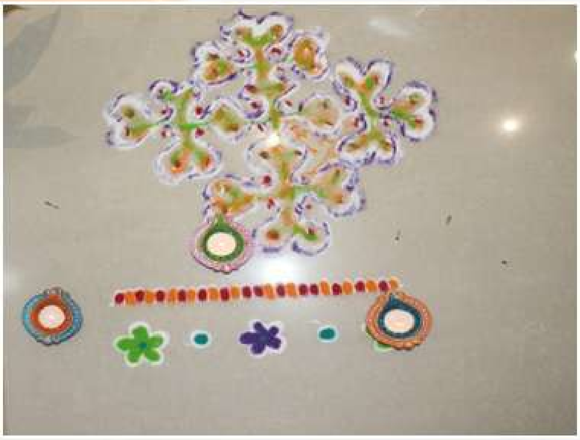

स्वच्छता पखवाड़ा, 2021

महिला अधिकारी शारीरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम,विदेश भवन, मुंबई 2021

श्री सत्यनारायण महापूजा कार्यक्रम, विदेश भवन, मुंबई 2021

अधीक्षक के पद पर पदोन्नत अधिकारियों का सम्मान समारोह, विदेश भवन, मुंबई 2021

सांस्कृतिक कार्यक्रम, विदेश भवन, मुंबई 2021

महिला दिवस, विदेश भवन, मुंबई 2021

डॉ. भाविशा गुगरे कोकिलाबेन अस्पताल द्वारा महिला 'ब्रेस्ट कैंसर' जागरूकता संबंधी कार्यशाला

महिला दिवस के अवसर पर, 'पूर्णतया महिला संचालित' पासपोर्ट सेवा केंद्र, मालाड

विदेश भवन परिसर में महिला कर्मचारियों का सयुंक्त छायाचित्र

मुख्य पासपोर्ट अधिकारी की क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी एवं अन्य कर्मचारियों के साथ बैठक, विदेश भवन, मुंबई

फ्रांस से कोविड सहायता प्राप्त करते हुये क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी

इंडोनेशिया से कोविड सहायता प्राप्त करते हुए क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी

रेड क्रॉस सोसायटी, भारत को कोविड सहायता सौंपते हुए क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी

श्री मनोज कुमार राय, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी द्वारा हिन्दी में लिखित पुस्तक 'पहलवान साहेब' का विमोचन

दैनिक भास्कर भोपाल 17-03-2021

का निर्देश दिया है।

उद्धव ठाकरे ने 'पहलवान साहेब' पुस्तक का विमोचन किया

मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने आवास पर एक समारोह में 'पहलवान साहेब' पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय मुंबई में पदस्थ क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी मनोज कुमार राय ने अपने दादा भागवत राय (1899-1944) पर लिखी है। भोपाल में भी पदस्थ रह चुके मनोज कुमार राय की यह पहली पुस्तक है। इसमें 12 अध्याय हैं, जो भागवत राय के विभिन्न गुणों को दर्शाते हैं। अमिताभ बच्चन और शिल्पा शेट्टी ने पुस्तक में अपने संदेश लिखे हैं।

महान विभूतियों में से एक... भागवत राय स्वतंत्रता पूर्व भारत के सबसे ताकतवर एवं महान विभूतियों में से एक थे। सन 1925 में उन्होंने अपनी सर्कस कंपनी खोली। उन्होंने सीने पर हाथी को खड़ा करना, तेज भागती गाड़ियों को रोकना जैसे कई हैरतअंगेज प्रदर्शन किए।

लोकमत

भागवत राय यांच्या पहलवान साहेब जीवन चरित्राचे प्रकाशन

स्वातंत्र्यपूर्व काळातील प्रसिद्ध मल्ल सर्कसपटूच्या व्यक्तिमत्वाचे उलगडले पैलू

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : सर्कसपटू मल्ल भागवत राय यांच्या पहलवान साहेब या जीवन चरित्राचे प्रकाशन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते वर्षा या शासकीय निवासस्थानी करण्यात आले. भागवत राय यांचे नातू आणि मुंबई क्षेत्रीय पारपत्र अधिकारी मनोज कुमार राय यांनी हे जीवन चरित्र लिहिले आहे. भागवत राय यांचे हे जीवन चरित्र बारा प्रकरणात विभागले आहे. यातून त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाविषयीचे विविध पैलू उलगडून दाखवण्यात आले आहेत.

भागवत राय ताकदीचे प्रयोग करण्यासाठी प्रसिद्ध होते. स्वातंत्र्यपूर्व काळात राय यांनी १९२५ मध्ये सर्कस कंपनी स्थापन केली. सर्कशीतून भागवत राय हत्तीला छातीवर उभे करून लोकांशी संवाद साधणे, धावती मोटारकार रोखणे, सुमारे तीन क्विंटल दगडाचा भार छातीवर तोलून धरणे असे ताकदीचे प्रयोग योग आणि प्राणायाम यांच्याद्वारे लीलया करून दाखवत. दरम्यान, प्रकाशन प्रसंगी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, पुस्तकाचे लेखक मनोज कुमार राय, शिवसेना सचिव मिलिंद नार्वेकर, मुंबई क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालयातील अधिकारी जयंत कुमार सावी, जॉन मार्क, संगीता राय, लेखक प्रणव वत्स उपस्थित होते.

सर्कसपटू मल्ल भागवत राय यांच्या पहलवान साहेब या जीवन चरित्रातून वाचकांना प्रेरणा मिळेल. चांगले काम करण्याची ऊर्जा मिळेल. पुस्तकातून सकारात्मक विचारप्रणाली जागृत होईल.
- मनोज कुमार राय

सर्कसपटू मल्ल भागवत राय यांच्या पहलवान साहेब या जीवन चरित्राचे प्रकाशन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते वर्षा या शासकीय निवासस्थानी करण्यात आले. यावेळी मुंबई क्षेत्रीय पारपत्र अधिकारी मनोज कुमार राय आणि संगीता राय उपस्थित होते.

Mumbai Main
Page No. 7 Mar 18, 2021
Powered by: erelego.com

भागवत राय पर लिखी पुस्तक का सीएम ठाकरे ने किया विमोचन

पत्रिका PLUS रिपोर्टर

भोपाल ◆ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव बाल ठाकरे ने अपने आधिकारिक आवास में एक समारोह में 'पहलवान साहेब' शीर्षक से लिखी एक जीवनी जारी की। यह जीवनी मनोज कुमार राय ने अपने दादा भागवत राय पर लिखी है।

भागवत राय ने 1925 में अपनी सर्कस कंपनी खोली। उन्होंने कई दुर्लभ कार्यों का प्रदर्शन किया था, जैसे अपने सीने पर एक हाथी को खड़ा करना और एकत्रित जनसमुदाय को योग और प्राणायाम की शक्ति द्वारा संबोधित करना, तेज भागती गाड़ियों को रोकना आदि। पुस्तक में 12 अध्याय हैं, जो उनके विभिन्न गुणों को दर्शाते हैं। राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय में उन पर एक लेख भी उपलब्ध है। पुस्तक के लेखक मनोज कुमार मुंबई में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी हैं। वे भोपाल में भी क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी के तौर पर कार्य कर चुके हैं। उनकी यह पहली किताब है। अभिनेता अमिताभ बच्चन और अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने इस पुस्तक के प्राक्कथन में अपने संदेश लिखे हैं।

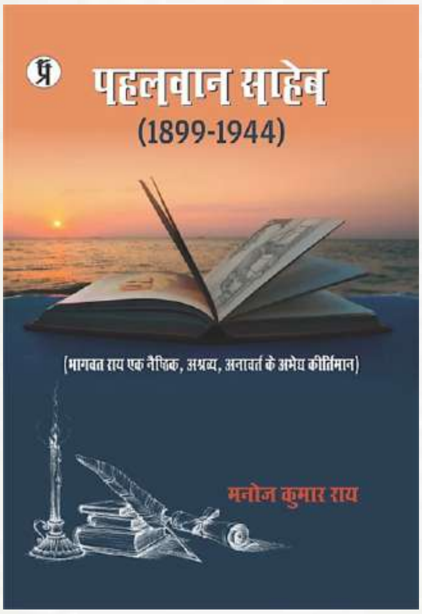

गणमान्य पासपोर्ट आवेदकों द्वारा पासपोर्ट सेवा संबंधी फीडबैक

पासपोर्ट प्रक्रिया में पेशेवर और घरेलू होने के लिए धन्यवाद - **सुष्मिता सेन, फिल्म अभिनेत्री**

अच्छा काम करते रहो - **सचिन तेंदुलकर, क्रिकेटर (भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता)**

बेहद मददगार होने के लिए धन्यवाद - **शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, फिल्म अभिनेत्री**

बहुत ही मिलनसार और मददगार लोग। यह एक केकवॉक था - **तबस्सुम हासमी (तब्बू), फिल्म अभिनेत्री**

बेहद विनम्र और सहायक स्टाफ - **अनुराधा पौडवाल, गायककार**

अब पासपोर्ट प्राप्त करना कितना सरल और आसान है, इससे मैं बहुत प्रभावित हूं। बहुत ही कुशल।
- प्रीति जिंटा, अभिनेत्री

बहुत अच्छी सेवा - **ऋतिक राकेश रोशन, अभिनेता**

काश सभी सरकारी दफ्तर ऐसे होते - **जावेद अख्तर, गीतकार और स्क्रिप्ट लेखक, बॉलीवुड फिल्म**

उत्कृष्ट सेवा, प्रभावशाली दक्षता स्तर - **शोभा डे, उपन्यासकार**

बहुत कुशल और विनम्र,आपका बहुत बहुत धन्यवाद
- ईशा मुकेश अंबानी, निदेशक, रिलायंस रिटेल और रिलायंस जियो इन्फोकॉम

उत्कृष्टअनुभव - **अजय देवगन, फिल्म अभिनेता**

साहसी और कुशल - **किशोर बियानी, सीईओ, फ्यूचर ग्रुप**

सर्वोत्तम सेवा, शुभकामनायें - **सन्नी देओल, फिल्म अभिनेता**